खण्ड-446, अंक-3
मंगलवार, 25 भाद्रपद, शक संवत् 1925
(16 सितम्बर, 2003 ई0)

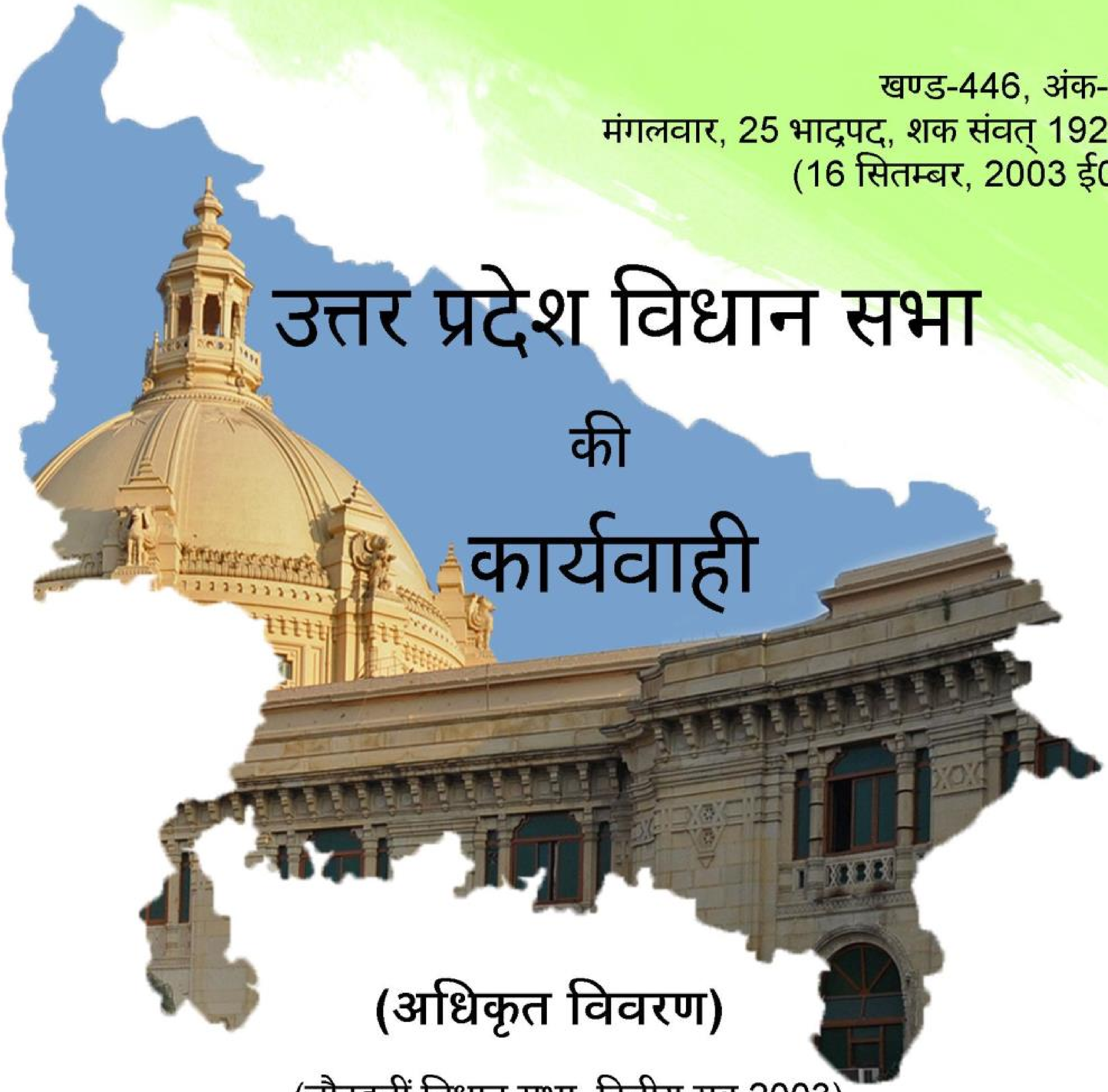

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2003)

खण्ड 446 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2003

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री श्रीनिवास के निधन पर शोकोद्गार	1
कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश पर आज की कार्यसूची में प्रश्नकाल न होने पर व्यवस्था का प्रश्न	1-2
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	3-4
जनपद आजमगढ़ के मेहनगर क्षेत्रान्तर्गत जमुआ मिर्जापुर के पास गंगई नदी पर सेतु निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	4
जनपद जौनपुर के बयालसी क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	4-5
जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज में रायपुर के पास लोनी नाले पर बने पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	5
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तीस प्रतिशत से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त होने से छात्रों एवं शिक्षकों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	5
शाहजहांपुर नगर को गंदगी और महामारी से बचाने हेतु नालों की सफाई कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	6
जनपद गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत राजापुर के पास गोधानी नदी पर पुल निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	6
संसद तथा अन्य विधान मण्डलों की भांति उत्तर प्रदेश विधान मण्डल में विभागीय स्थाई समितियों का गठन किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	6-8
मंत्रि-परिषद् की सलाह के बिना आहूत वर्तमान सत्र की कार्यवाही अवैधानिक होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	8-9
विधायक निधि का नाम विधान सभा क्षेत्र विकास निधि रखे जाने विषयक औचित्य का प्रश्न	9-11
उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (सदन के पटल पर रखा गया)	11
उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (सदन के पटल पर रखा गया)	11
सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2003 (सदन के पटल पर रखा गया)	11

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (सदन के पटल पर रखा गया)	11
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (सदन के पटल पर रखा गया)	11
उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (सदन के पटल पर रखा गया)	12
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (सदन के पटल पर रखा गया)	12
उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (सदन के पटल पर रखा गया)	12
उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (निर्माण स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (सदन के पटल पर रखा गया)	12
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (सदन के पटल पर रखा गया)	12
उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 (सदन के पटल पर रखा गया)	12
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (सदन के पटल पर रखा गया)	12
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 (सदन के पटल पर रखा गया)	13
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (सदन के पटल पर रखा गया)	13
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (सदन के पटल पर रखा गया)	13
उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (सदन के पटल पर रखा गया)	13
उत्तर प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 (सदन के पटल पर रखा गया)	13
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों के भवन निर्माण या वाहन क्रय हेतु अग्रिम) (छठवां संशोधन) नियमावली, 2003 (सदन के पटल पर रखी गयी)	13

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
विधान सभा के प्रथम सत्र, 2003 में नियम 301 के अन्तर्गत ग्राह्य सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया) ...	13
संविधान (पंचानवेवां संशोधन) विधेयक, 2003 द्वारा 'भारत का संविधान' में प्रस्तावित संशोधन के अनुसमर्थन का पत्र (सदन के पटल पर रखा गया)...	14
उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2003 ..... (उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	14
उत्तर प्रदेश आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2003 ..... (उत्तर प्रदेश विधानपरिषद् से वापसी की सूचना)	14
उत्तर प्रदेश विनियोग (2002-2003 का अनुपूरक) विधेयक, 2003 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	14
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2003 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	15
उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2003 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	15
उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2003 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	15
उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2003 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	15-16
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (2002-2003) का पैंतीसवां प्रतिवेदन .... (प्रस्तुत किया गया)	16
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (2002-2003) का छत्तीसवां प्रतिवेदन .... (प्रस्तुत किया गया)	16
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2002-2003) का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	16
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2002-2003) का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	16
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2002-2003) का सप्तम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	16-17

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की 'सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2002-2003) का अष्टम् प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	17
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2002-2003) का नवम् प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	17
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2002-2003) का दशम् प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	17
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2002-2003) का एकादश प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	17-18
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	18
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की वर्ष 2003-2004 की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धित संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति" और मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थाई समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना	19
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद एवं सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम्, मेरठ के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिये सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना	19-20
नियम 311 एवं नियम 51 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	20-50
विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन की अवमानना के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष के निर्णय	50
श्री देवकी नन्दन कोरी द्वारा श्री एस0 एन0 रावत जिला समाज कल्याण अधिकारी, अलीगढ़ के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	50-52
श्री किरनपाल सिंह कश्यप द्वारा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	52-53
श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह आदि द्वारा मुख्य मंत्री सुश्री मायावती के विरुद्ध दिनांक 3 सितम्बर, 2002 को विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की अभिसूचित सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	53-54

विषय	पृष्ट-संख्या
श्री सीताराम निषाद द्वारा पर्यावरण मंत्री के विरुद्ध दिनांक 5-9-02 को विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की अभिसूचित सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	54-55
श्री राम किशुन द्वारा दिनांक 5 सितम्बर, 2002 को सिंचाई मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की अभिसूचित सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	55-56
श्री प्रमोद कुमार द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2003 को माननीय अध्यक्ष, विधान सभा के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	56-59
नेता, विरोधी दल श्री मोहम्मद आजम खां के विरुद्ध दिनांक 3 मार्च, 2003 को श्री लालजी वर्मा तथा डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी मंत्री द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	59-60
उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2003-2004 की "लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति तथा मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थाई समितियों" में विधान सभा सदस्यों को नाम निर्देशित करने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	60-61
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद एवं सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोदीपुरम्, मेरठ के प्रबन्ध बोर्ड में विधान सभा के सदस्यों को नाम निर्देशित किये जाने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	61-62
एक सदस्यीय समता पार्टी के सदस्य श्री राजा राम द्वारा समाजवादी पार्टी में विलय की घोषणा (जारी)	62
श्री राजाराम पाण्डेय को व्यक्तिगत विचार व्यक्त करने की अनुमति दिये जाने पर आपत्ति	62-63
एक सदस्यीय समता पार्टी के सदस्य श्री राजा राम द्वारा समाजवादी पार्टी में विलय की घोषणा	63
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	63-64

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 16 सितम्बर, 2003

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-385

1-अकीलुर्रहमान खां, श्री — मुरादाबाद
2-अक्षयवर लाल, श्री — बहराइच
3-अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
4-अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
5-अजय कुमार, श्री — बागपत
6-अजीत कुमार उर्फ राजू, श्री — बदायूं
7-अजीम भाई, श्री — फिरोजाबाद
8-अताउल रहमान, श्री — बरेली
9-अनवर महमूद, श्री — बलरामपुर
10-अनार सिंह दिवाकर, श्री — एटा
11-अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
12-अनिल् कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
13-अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
14-अनिल कुमार पासवान, श्री — हरदोई
15-अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
16-अनिल सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
17-अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
18-अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह — देवरिया
19-अनुराधा चौधरी, श्रीमती — मुजफ्फर नगर
20-अनूप कुमार पाण्डेय, श्री — बस्ती
21-अन्सार अहमद, श्री — इलाहाबाद
22-अब्दुल कलाम, श्री — वाराणसी
23-अब्दुल कलाम, श्री — सन्त कबीरनगर
24-अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
25-अब्बास अली जैदी उर्फ रुशदी मियां, श्री — बाराबंकी
26-अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री — फतेहपुर
27-अमरमणि, श्री — महराजगंज
28-अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री — हाथरस
29-अमिता सिंह, श्रीमती — सुल्तानपुर
30-अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
31-अम्बेश कुमारी, श्रीमती — महोबा
32-अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
33-अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री — बाराबंकी
34-अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0 — जालौन
35-अरुण कुमारी, श्रीमती — कानपुर देहात
36-अरुणवीर सिह, श्री — बहराइच
37-अरुणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
38-अवधेश कुमार वर्मा, श्री — शाहजहांपुर
39-अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
40-अशोक कुमार कटियार, श्री — कानपुर देहात
41-अशोक बाजपेयी, डा0 — हरदोई
42-अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
43-आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री — सिद्धार्थनगर
44-आनन्द प्रकाश लोधी, श्री — फतेहपुर
45-आनन्द सेन, श्री — फैजाबाद
46-आर0एस0 कुशवाहा, श्री — खीरी
47-आर0के0 चौधरी, श्री — लखनऊ
48-आर0 के0 सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
49-आलम बदी, श्री — आजमगढ़
50-आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
51-आशा किशोर, श्रीमती — रायबरेली
52-आशीष यादव, श्री — बदायूं
53-आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
54-इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद
55-इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
56-इन्द्रदेव सिंह, डा0 — बिजनौर
57-इलम सिंह, श्री — सहारनपुर
58-उदयभान करवरिया, श्री — इलाहाबाद

59-उदयराज यादव, श्री — उन्नाव
60-उमा किरन, श्रीमती — मुजफ्फरनगर
61-उमा शंकर कुशवाहा, श्री — गाजीपुर
62-ऊषा वर्मा, श्रीमती — हरदोई
63-ओइमवेश, स्वामी — बिजनौर
64-ओमकार सिंह, यादव,श्री — बदायूं
65-ओम प्रकाश,श्री — गाजीपुर
66-ओम प्रकाश, श्री — सीतापुर
67-ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह), श्री — सुल्तानपुर
68-ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
69-ओम प्रकाश सिंह, श्री — मिर्जापुर
70-ओमवती देवी, श्रीमती — बिजनौर
71-कपिल देव यादव, श्री — मऊ
72-कमला प्रसाद रावत, श्री — बाराबंकी
73-कमलेश कुमार, श्री — गोरखपुर
74-कमाल यूसुफ मलिक, श्री — सिद्धार्थनगर
75-कल्याण सिंह, श्री — अलीगढ़
76-कल्यान सिंह दोहरे, श्री — कन्नौज
77-काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब — रामपुर
78-कामेश्वर उपाध्याय, श्री — देवरिया
79-कालीचरन राजभर, श्री — गाजीपुर
80-काशीराम, श्री — रामपुर
81-किरण पाल कश्यप, श्री — मुजफ्फरनगर
82-किरन पाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
83-किशन लाल बघेल, सेठ — आगरा
84-कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री — बिजनौर
85-कुलदीप सिंह सेंगर, श्री — उन्नाव
86-कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री — हरदोई
87-कृष्णानन्द राय, श्री — गाजीपुर
88-कृष्णा पासवान, श्रीमती — फतेहपुर
89-केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
90-कैलाश, श्री — गाजीपुर
91-कैलाश चौरसिया, श्री — मिर्जापुर
92-कैलाश नाथ सिंह यादव, श्री — वाराणसी
93-कोविद कुमार, श्री — शाहजहांपुर
94-कौकब हमीद खां, श्री — बागपत
95-कौशल किशोर, श्री — खीरी
96-कौशल किशोर, श्री — लखनऊ
97-गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री — आगरा
98-गंगा बक्श सिंह, डा0 — उन्नाव
99-गंगा भक्त सिंह, श्री — हरदोई
100-गया चरन दिनकर, श्री — बांदा
101-गीता सिंह, श्रीमती — बलरामपुर
102-गुलाब देवी, श्रीमती — मुरादाबाद
103-घनश्याम शुक्ल,श्री — गोण्डा
104-घूरा राम, श्री — बलिया
105-चन्द्र किशोर, श्री — महराजगंज
106-चन्द्रदेव राम यादव, श्री — आजमगढ़
107-चन्द्रभद्र सिंह, श्री — सुल्तानपुर
108-चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री — श्रावस्ती
109-चितरंजन स्वरूप, श्री — मुजफ्फरनगर
110-छेदीराम, श्री — गाजीपुर
111-छोटे लाल यादव, श्री — बाराबंकी
112-छोटे लाल वर्मा, श्री — आगरा
113-जंग बहादुर, श्री — सुल्तानपुर
114-जगदम्बिका पाल, श्री — बस्ती
115-जगदीश नारायण (राय), श्री — जौनपुर
116-जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री — कुशीनगर
117-जगदीश सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
118-जगदीश सोनकर,श्री — जौनपुर
119-जगन प्रसाद गर्ग, श्री — आगरा
120-जगराम सिंह, श्री — मुरादाबाद
121-जटाशंकर सिंह, श्री — बहराइच
122-जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री — फर्रुखाबाद
123-जय प्रकाश यादव, श्री — गोरखपुर
124-जय प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
125-जयराम विमल, श्री — अम्बेडकर नगर
126-जयवीर सिंह, श्री — मैनपुरी
127-जयवीर सिंह ठाकुर — अलीगढ़
128-जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री — गोरखपुर
129-जियाउद्दीन रिजवी, श्री — बलिया

130-ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री — महराजगंज
131-तेजपाल सिंह, श्री — मथुरा
132-दद्दू प्रसाद, श्री — चित्रकूट
133-दयाराम, श्री — कौशाम्बी
134-दया शंकर वर्मा, श्री — जालौन
135-दिनेश सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
136-दीनानाथ कुशवाहा, श्री — देवरिया
137-दीनानाथ भाष्कर, श्री — सन्त रविदास नगर, भदोही
138-दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री — देवरिया
139-दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
140-देवकी नन्दन, श्री — हाथरस
141-देव नारायण उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री — गोरखपुर
142-देवेन्द्र नागपाल, श्री — ज्योतिबा फूलेनगर
143-देवेन्द्र प्रताप, श्री — एटा
144-देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — रायबरेली
145-द्वारिका प्रसाद, श्री — सन्त कबीर नगर
146-धनन्जय सिंह, श्री — जौनपुर
147-धर्मपाल सिंह, श्री — गाजियाबाद
148-धर्मराज निषाद, श्री — अम्बेडकर नगर
149-धर्म सिंह सैनी, डा0 — सहारनपुर
150-धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री — बरेली
151-नत्थू सिंह, श्री — उन्नाव
152-नरेन्द्र कुमार, श्री — गौतमबुद्ध नगर
153-नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0 — इलाहाबाद
154-नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री — सीतापुर
155-नरेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
156-नरेन्द्र सिंह सिसोदिया, श्री — गाजियाबाद
157-नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
158-नवाब सिंह नागर, श्री — गौतमबुद्ध नगर
159-नारद राय, श्री — बलिया
160-पकौड़ी लाल, श्री — मिर्जापुर
161-परमेश्वर दयाल, श्री — सोनभद्र
162-परागी लाल अहिरवार, श्री — झांसी
163-पारस नाथ यादव, श्री — जौनपुर
164-पी0के0 राय, डा0 — कुशीनगर
165-पीटर फैन्थम, श्री — नाम-निर्देशित
166-पीतम राम, श्री — पीलीभीत
167-पूरन सिंह बुन्देला, श्री — ललितपुर
168-पूर्णमासी देहाती, श्री — कुशीनगर
169-प्रताप चौधरी, श्री — हाथरस
170-प्रदीप माथुर, श्री — मथुरा
171-प्रभु दयाल, श्री — मेरठ
172-प्रभु नारायण, श्री — वाराणसी
173-प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
174-प्रमोद गौड़, श्री — अलीगढ़
175-प्रेम पाल सिंह यादव, श्री — बदायूं
176-प्रेमलता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
177-प्रेम सिंह, श्री — मथुरा
178-फसीहा वशीर चौधरी — देवरिया
179-फागू, श्री — मऊ
180-बंशीधर राज, श्री — खीरी
181-बलराम यादव, श्री — आजमगढ़
182-बाबूराम, एम0काम, श्री — जालौन
183-बाबूलाल, श्री — गोण्डा
184-बाबूलाल, चौधरी — आगरा
185-बाबूलाल कुशवाहा, श्री — बांदा
186-बिजय सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
187-बीजू पटनायक, श्री — गाजीपुर
188-बीना भारद्वाज, श्रीमती — रामपुर
189-बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज,) श्री — झांसी
190-बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट — जालौन
191-बैजनाथ पासवान, श्री — मऊ
192-बैजनाथ दुबे, श्री — गोण्डा
193-ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री — देवरिया
194-भगवत शरन गंगवार, श्री — बरेली
195-भगेलू राम, श्री — सुल्तानपुर
196-भारतेन्द्र सिंह, कुंवर — बिजनौर
197-भूपेन्द्र सिंह, श्री — बदायूं
198-मतेश चन्द्र सोनकर, श्री — कौशाम्बी
199-मदन गोपाल वर्मा, श्री — फतेहपुर
200-मदन चौहान, श्री — गाजियाबाद

201-मदन भैया, श्री — बागपत
202-मदन सिंह गौतम उर्फ सन्तोष कुमार, श्री — इटावा
203-मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री — रायबरेली
204-मलिक मसूद, श्री — आजमगढ़
205-मशहूद खां, श्री — बलरामपुर
206-मस्तराम चौ0, एडवोकेट — उन्नाव
207-महबूब अली, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
208-महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा — आगरा
209-महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीनबाबू, श्री — सीतापुर
210-महेन्द्र सिंह जाटव, चौधरी — अलीगढ़
211-महेन्द्र सिंह यादव, श्री — बुलन्दशहर
212-महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री — इटावा
213-महेश त्रिवेदी, श्री — कानपुर देहात
214-महेश नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
215-माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — सिद्धार्थ नगर
216-मानपाल सिंह, श्री — एटा
217-माया प्रसाद, श्रीमती — खीरी
218-मिथिलेश कुमार, श्री — शाहजहांपुर
219-मुंशीलाल गौतम, श्री — बुलन्दशहर
220-मुकुट बिहारी वर्मा, श्री — बहराइच
221-मुश्ताक सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
222-मूलचन्द्र, श्री — बिजनौर
223-मोख्तार अंसारी, श्री — मऊ
224-मोहन देव शंखवार, श्री — फिरोजाबाद
225-मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री — मुरादाबाद
226-मोहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
227-मोहम्मद इरशाद खां, श्री — लखनऊ
228-मोहम्मद बशीर, चौधरी — आगरा
229-मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री — इलाहाबाद
230-मोहम्मद रिजवान, श्री — मुरादाबाद
231-मो0 शफीक, श्री — फतेहपुर
232-यशपाल चौधरी, श्री — खीरी
233-यशवन्त सिंह, डा0 — मुजफ्फर नगर
234-याकूब, हाजी — मेरठ
235-योगेन्द्र कुमार, श्री — बदायूं
236-योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री — गोण्डा
237-रणवीर राणा, श्री — मेरठ
238-रतन लाल अहिरवार, श्री — झांसी
239-रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री — कुशीनगर
240-रमेश कुमार शर्मा, श्री — झांसी
241-रमेश चन्द्र बिन्द, डा0 — मिर्जापुर
242-रविन्द्र पुण्डीर, प्रो0 — मेरठ
243-राकेश कुमार वर्मा, श्री — बाराबंकी
244-राकेश पाण्डेय, श्री — अम्बेडकर नगर
245-राकेश सचान, श्री — कानपुर देहात
246-राज किशोर सिंह, श्री — बस्ती
247-राजपाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
248-राजपाल सिंह बालियान, श्री — मुजफ्फर नगर
249-राजपाल सिंह सैनी, श्री — मुजफ्फर नगर
250-राजरानी रावत, श्रीमती — बाराबंकी
251-राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती — बाराबंकी
252-राजवीर सिंह, श्री — बुलन्दशहर
253-राजाराम, श्री — प्रतापगढ़
254-राजीव कुमार सिंह, श्री — बाराबंकी
255-राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री — प्रतापगढ़
256-राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री — लखनऊ
257-राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री — एटा
258-राजेन्द्र सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
259-राजेश अग्रवाल, श्री — बरेली
260-राजेश कुमार, श्री — खीरी
261-राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 — गोरखपुर
262-राधेश्याम जायसवाल, श्री — सीतापुर
263-राधेश्याम सिंह, श्री — कुशीनगर
264-राम अचल राजभर, श्री — अम्बेडकर नगर
265-राम इकबाल सिंह, श्री — बलिया
266-राम करन आर्य, श्री — बस्ती
267-राम किशुन, श्री — वाराणसी
268-राम कृष्ण, श्री — सीतापुर
269-राम गोविन्द चौधरी, श्री — बलिया

270-रामजी शुक्ला, श्री — औरैया
271-राम नरेश यादव, श्री — आजमगढ़
272-रामनाथ, श्री — प्रतापगढ़
273-रामपाल यादव,श्री — सीतापुर
274-राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री — कन्नौज
275-राम प्रताप सिंह, श्री — गोण्डा
276-राम प्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
277-रामबाबू हरित,डा0 — आगरा
278-राम बिशुन आजाद, श्री — गोण्डा
279-राम भुआल निषाद, श्री — गोरखपुर
280-राम लाल अकेला, श्री — रायबरेली
281-रामवीर सिंह, श्री — फिरोजाबाद
282-राम शंकर पाल, श्री — उन्नाव
283-राम सेवक, श्री — सुल्तानपुर
284-राम स्वरूप सिंह, श्री — बिजनौर
285-रामहेत, श्री — सीतापुर
286-रामेश्वर सिंह यादव, श्री — एटा
287-रिजवान अहमद खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
288-रियाज अहमद, श्री — पीलीभीत
289-लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 — मेरठ
290-लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
291-लालजी टण्डन, श्री — लखनऊ
292-लालजी वर्मा, श्री — अम्बेडकर नगर
293-लाल बहादुर यादव, श्री — जौनपुर
294-लुईस खुर्शीद, श्रीमती — फर्रुखाबाद
295-वकार अहमद शाह, डा0 — बहराइच
296-वसीम अहमद, श्री — आजमगढ़
297-विजमा यादव, श्रीमती — इलाहाबाद
298-विजय कुमार मिश्रा, श्री — सन्त रविदासनगर भदोही
299-विजय बहादुर पाल, श्री — कन्नौज
300-विजय सिंह, श्री — सोनभद्र
301-विजेन्द्र सिह, श्री — हाथरस
302-विद्या चौधरी, श्रीमती — आजमगढ़
303-विद्या सागर गुप्ता,श्री — लखनऊ
304-विनय शाक्य, श्री — औरैया
305-विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह, श्री — गोण्डा
306-विनोद कुमार यादव कक्का, श्री — इटावा
307-विनोद कुमार सिंह, श्री — जौनपुर
308-विनोद तिवारी, डा0 — पीलीभीत
309-विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री — बदायूं
310-विवेक बंसल, श्री — अलीगढ़
311-विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री — बांदा
312-विश्राम सिंह यादव, श्री — हरदोई
313-वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना'' — शाहजहांपुर
314-वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री — बरेली
315-वीरेन्द्र सिंह, श्री — मुजफ्फर नगर
316-वीरेन्द्र सिंह बुन्देला 'भगत राजा', श्री — ललितपुर
317-वीरेश्वर, श्री — अलीगढ़
318-वेदराम भाटी, श्री — बुलन्दशहर
319-शंखलाल मांझी, श्री — सन्त कबीरनगर
320-शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री — सन्त रविदासनगर भदोही
321-शब्बीर, श्री — बहराइच
322-शमीमुल हक, श्री — मुरादाबाद
323-शरदवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
324-शहजिल इस्लाम, श्री — बरेली
325-शाकिर अली, श्री — देवरिया
326-शारदा देवी, श्रीमती — गोरखपुर
327-शारदा नन्द अंचल, श्री — बलिया
328-शारदा प्रसाद,श्री — चन्दौली
329-शाहिद मंजूर, श्री — मेरठ
330-शिव कुमार बेरिया, श्री — कानपुर देहात
331-शिव चरन, श्री — हमीरपुर
332-शिव तपस्या पासवान, श्री — चन्दौली
333-शिवपाल सिंह यादव, श्री — इटावा
334-शिव प्रताप यादव, डा0 — बलरामपुर
335-शिवाकान्त ओझा, प्रो0 — प्रतापगढ़
336-शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री — महराजगंज
337-शिशुपाल सिंह यादव, श्री — एटा
338-शैलेन्द्र यादव ''ललई'', श्री — जौनपुर
339-श्याम सिंह अहेरिया, श्री — मथुरा
340-श्यामदेव राय चौधरी, श्री — वाराणसी

341-श्याम नारायन, श्री — महराजगंज
342-श्याम सुन्दर शर्मा, श्री — मथुरा
343-श्याम सूरत उपाध्याय, श्री — इलाहाबाद
344-संजय गर्ग, श्री — सहारनपुर
345-संजीव दरियाबादी, श्री — कानपुर नगर
346-संदीप अग्रवाल, श्री — मुरादाबाद
347-सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर
348-सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री — मेरठ
349-सदल प्रसाद, श्री — गोरखपुर
350-सत्य नारायण, श्री — हरदोई
351-सन्ध्या कठेरिया, कु0 — मैनपुरी
352-समरपाल सिंह, श्री — बागपत
353-सवेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुं0 — मुरादाबाद
354-सलिल विशनोई, श्री — कानपुर नगर
355-सिद्ध गोपाल साहू, श्री — महोबा
356-सियाराम सागर, डा0 — बरेली
357-सीताराम निषाद, श्री — फैजाबाद
358-सुखदेव राजभर, श्री — आजमगढ़
359-सुखदेवी वर्मा, श्रीमती — इटावा
360-सुन्दर लाल, श्री — उन्नाव
361-सुन्दर सिंह, श्री — बुलन्दशहर
362-सुरेन्द्र पाल वर्मा, डा0 — बांदा
363-सुरेन्द्र प्रकाश गोयल, श्री — गाजियाबाद
364-सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — जौनपुर
365-सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री — रायबरेली
366-सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री — वाराणसी
367-सुरेन्द्र कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
368-सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री — लखनऊ
369-सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री — लखनऊ
370-सुल्तान बेग, श्री — बरेली
371-सुशील चौधरी, डा0 — सहारनपुर
372-सूरज सिंह शाक्य, श्री — एटा
373-सोमारू राम सरोज, श्री — जौनपुर
374-सोवरन सिंह, श्री — मैनपुरी
375-स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री — रायबरेली
376-हरिओम यादव, श्री — फिरोजाबाद
377-हरि प्रताप सिंह, श्री — प्रतापगढ़
378-हरि शंकर तिवारी, श्री — गोरखपुर
379-हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी" श्री — वाराणसी
380-हीरा लाल गौतम, श्री — आजमगढ़
381-हुकुम सिंह, श्री — मुजफ्फर नगर
382-होशियार सिंह, श्री — बुलन्दशहर
383-दिलीप कुमार वर्मा, श्री — बहराइच
384-विमला राकेश, श्रीमती — सहारनपुर

नोट :-मा0 श्री मुलायम सिंह यादव, मुख्य मंत्री,
श्री मोहम्मद आजम खां
श्री कौकब हमीद
श्री शिवपाल सिंह यादव,
श्री राजवीर सिंह मंत्री भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

16 सितम्बर, 2003

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री श्रीनिवास के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री श्रीनिवास का 27 जून, 2003 को निधन हो गया। वे लगभग 86 वर्ष के थे। श्री श्रीनिवास का जन्म 4 दिसम्बर, 1917 को ग्राम अकराबाद, जिला अलीगढ़ में हुआ था। उन्होंने बी0ए0, एल0एल0बी0 तक शिक्षा ग्रहण की थी। श्री श्रीनिवास सर्वप्रथम वर्ष 1952 में निर्वाचन क्षेत्र अतरौली (उत्तर) जिला अलीगढ़ से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। तत्पश्चात् वे वर्ष 1957 तथा 1962 में पुनः कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे वर्ष 1968 से 1972 तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य भी रह चुके थे। श्री श्रीनिवास ने वर्ष 1946 में कांग्रेस पार्टी के सक्रिय सदस्य के रूप में राजनीति में प्रवेश किया था। वे प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे थे। वे जिला कांग्रेस कमेटी, अलीगढ़ के प्रधान मंत्री तथा अध्यक्ष रहे थे। वे जिला बोर्ड के सदस्य तथा शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। अध्ययन तथा टेनिस में उनकी विशेष रुचि थी। श्री श्रीनिवास के निधन से जिला अलीगढ़ में एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया। उनके निधन से इस सदन के सदस्य दुखी हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शान्ति दे और उनके परिवार के लोगों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए हम दो मिनट मौन खड़े होकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

(सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई।)

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर आज की कार्य सूची में प्रश्नकाल न होने पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्नकाल स्थगित कर दिया गया है, आगे बढ़ा दिया गया है। क्या उत्तर प्रदेश के संसदीय इतिहास में कभी ऐसा हुआ है। क्या भारत सरकार के संसदीय इतिहास में ऐसा हुआ है ? अगर नहीं हुआ है तो यह आगे दृष्टान्त न बने इसलिए इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, 6 माह बाद विधान सभा का सत्र बुलाया गया है। पहले सामान्य बजट सत्र होने वाला था और सभी माननीय सदस्यों ने काफी प्रश्न लगाए थे पर अब सत्ता परिवर्तन हुआ है और नई सरकार आई है चार दिनों का सत्र बुलाया गया था इसमें पहले दिन निधन के निदेश लिए गए और दूसरे दिन विश्वास मत के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। दो दिनों का समय मिला है इसमें प्रश्न प्रहर नहीं है। प्रश्नकाल सभी सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण होता है इसके माध्यम से प्रदेश की समस्याओं से अवगत कराते हैं उनके समाधान के लिए बात उठाते हैं। इस संबंध में यह कहना चाहूंगा कि प्रश्न प्रहर विशेष परिस्थितियों में ही स्थगित किया जाना चाहिए। सरकार बन गई है 6 कैबिनेट मंत्री बन गए हैं अभी भले ही मंत्रियों को विभाग न मिला हो लेकिन मंत्रिमण्डल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है जो प्रश्न लगे थे उनका उत्तर आना चाहिए था। कल के बाद यह सत्र स्थगित हो जाएगा। सम्भावना यह भी है कि

सत्रावसान हो जायेगा। हजारों प्रश्न जिनका विधान सभा में उत्तर आना चाहिए था वह सब एक तरह से निरस्त हो जायेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि या तो सत्र स्थगित रखा जाए और सत्र इसके बाद दो माह बाद बुला लिया जाए और इन प्रश्नों को पुनः जब सदन बैठे तो मान लिया जाए।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि सदन की परम्परा रही है कि जब कभी कार्य मंत्रणा समिति में कोई निर्णय हो जाता है तो उस पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है। मैं व्यवस्था चाहता हूं कि क्या कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश के बाद व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है। प्रश्नों का स्थगित होना पहली बार नहीं हो रहा है। सामान्य परम्परा रही है बार-बार होती रही है। मेरा इतना आग्रह है कि इन प्रश्नों को निरस्त न किया जाए बल्कि जीवित रखा जाए अगले सदन में जब भी हम बैठें उनका विस्तार से उत्तर आ जाए। इसे जीवित रखने पर व्यवस्था चाहता हूं और दूसरा मेरा आग्रह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश के बाद क्या व्यवस्था का प्रश्न उठाना उचित है ?

श्री सुखदेव राजभर-

अभी कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश अनुमोदित नहीं हुई है। सदन में प्रश्न किए जाएं या न किये जाएं इस पर हम लोगों का इतना हक तो है ही कि आपके सामने अपनी बात रख सकूं। जहां तक टेक्निकल प्वाइंट उठाया गया उसके बारे में कहना है कि अभी कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश सदन में अनुमोदित नहीं हुई है। इस बीच सदस्य अपनी बात को निवेदन तो कर सकते हैं। किस तरह से सदस्यगण प्रयास करके प्रश्न लगाते हैं उन्हें प्रश्न करने का अधिकार होता है। यह सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सदस्यों के जनहित के प्रश्न होते हैं। यह प्रश्न जो लगाए गए हैं इनका कम से कम रेगुलराइज कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

सदन का कार्य कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश और विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमावली के अनुसार चलता है। सामान्यतः सभी विधान सभा के सदस्य इस पक्ष में रहते हैं कि प्रश्नकाल स्थगित न हो। लेकिन कभी-कभी अपरिहार्य परिस्थितियां आ जाती हैं उनके कारण इसको स्थगित करना आवश्यक हो जाता है। इस प्रश्न पर कार्य मंत्रणा समिति ने विचार किया था उसकी संस्तुति आपके समक्ष आज प्रस्तुत हो जायेगी। चूंकि सत्ता परिवर्तन हुआ है। जिसमें बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जिन पर नई सरकार को विचार करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए उनका पुनरीक्षण कराकर सदन में उत्तर दिया जाएगा जो नई सरकार की नीतियों के अनुसार होगा। अभी मंत्रियों को विभाग भी आवंटित नहीं हुआ है इस अपरिहार्य परिस्थिति में यह निर्णय हुआ है यह कार्य-मंत्रणा समिति की संस्तुति है जो आपके सामने आएगी। इसी के साथ व्यवस्था के प्रश्न का निस्तारण किया जाता है।

श्री हुकुम सिंह-

प्रश्नों के बारे में स्थिति स्पष्ट हो जाए।

श्री अध्यक्ष-

उनके बारे में पहले से ही निर्देश दे दिया कि जितने प्रश्न हैं वह पुनर्जीवित कर दिए जायेंगे। ताकि जिन सदस्यों ने प्रश्न किया है उनके अधिकार किसी प्रकार से प्रभावित न हों।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

आज दिनांक 16 सितम्बर, 2003 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गईं।

पहली सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की है। (पढ़ी हुई मानी गयीं) दूसरी सूचना श्री जगदीश नारायण राय की है (सूचना पढ़ी हुई मानी गयी), तीसरी सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री अनिल सिंह, श्री कमाल यूसुफ मलिक तथा श्री आदित्य विक्रम सिंह की है।

श्री कमाल यूसुफ मलिक-

मान्यवर, मैं अपनी सूचना पढ़ना चाहता हूं।

(माननीय सदस्य ने अपनी सूचना सदन में पढ़कर सुनाई)

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना .....

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

माननीय सदस्य ने जिस तरह से सूचना दी है कि हत्या हुई है। यह गम्भीर है। हम ज्यादा न कह कर इतना कहना चाहते हैं कि इसमें सी0बी0सी0आई0डी0 से जांच स्वीकार की जाती है और जांच में यदि कोई व्यवधान डालता है तो उस बाधा को भी दूर किया जायेगा।

(मेजें थपथपाई गईं)

श्री अध्यक्ष-

आगे चौथी सूचना श्री आर0के0 चौधरी की है (सूचना पढ़ी हुई मानी गयी)

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में बताया कि संसदीय कार्य मंत्री जी वहां गये थे। अगर संसदीय कार्य मंत्री जी हैं तो उत्तर उनको देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

अभी हैं कहां ? वह तो माननीय सदस्य की जबान फिसल गई। पांचवी सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की है। सूचना पढ़ी मान लेते हैं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मैं पढ़ना चाहता हूं।

(माननीय सदस्य ने अपनी सूचना सदन में पढ़ी)

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की है (सूचना पढ़ी हुई मानी गयी) सातवीं सूचना श्री काली चरन राजभर की है। (सूचना पढ़ी हुई मानी गयी) प्रतीक्षा सूची की जो सूचनाएं निरस्त हुई

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वह श्री राजेश कुमार और डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की है। जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं निरस्त हुई उनके नाम श्री लाल जी वर्मा और श्री विश्राम सिंह यादव हैं।

जनपद आजमगढ़ के मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत जमुआ मिर्जापुर के पास मंगई नदी पर सेतु निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

1-श्रीमती विद्या चौधरी-

[मान्यवर, जनपद आजमगढ़ में जमुआ मिर्जापुर के पास मंगई नदी पर सेतु निर्माण न होने से ग्रामीण जनता को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दूर दराज से आने जाने में काफी समय बर्बाद होता है। आस-पास क्षेत्र के बालक-बालिकाओं को नदी पार करते समय अनेकों बार दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं। बरसात के दिनों में अत्यधिक कठिनाई होती है। अतः आपसे आग्रह है कि इस लोक महत्व की अविलम्बनीय मांग को देखते हुए सदन में चर्चा कराने तथा जमुआ मिर्जापुर के पास मंगई नदी पर सेतु निर्माण तत्काल कराने का आदेश पारित किया जाए।]

जनपद जौनपुर के बयालसी क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

2-श्री जगदीश नारायण राय-

[मान्यवर, जनपद जौनपुर के अन्तर्गत मेरे क्षेत्र बयालसी में विकास खण्ड-जलालपुर, ग्राम-रेहटी में एक उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रस्तावित है। उक्त केन्द्र हेतु जमीन उपलब्ध है। जिला से प्रस्ताव आकर शासन के मुख्यालय में लम्बित है। कई बार वह वित्तीय स्वीकृति हेतु रखा गया परन्तु आज तक स्वीकृति नहीं मिली है जिससे क्षेत्र की जनता स्वास्थ्य सुविधा से वंचित हो रही है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय मुख्य मंत्री/वित्त मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए सी0एम0सी0 को तत्काल प्रारम्भ कराने की मांग करता हूं।]

3-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

मान्यवर, दिनांक 29/30 जुलाई, 2003 को थाना कोतवाली बांसी, मुहल्ला शीतलगंल, जनपद सिद्धार्थनगर निवासी श्री डी0 प्रसाद व मुजफ्फर हुसैन के दो घरों में करीब 1.00 बजे से 2.30 बजे के बीच डकैती पड़ी जिसमें कुल 07 लोगों की हत्या और 05 लोगों को बुरी तरह से डकैतों ने घायल कर दिया। जिसकी सूचना थाने पर दी। करीब 4.00 के करीब कोतवाली बांसी पुलिस के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और चोट खाये हुए और मृत्यु प्राप्त हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाया। प्रातः 6.30 बजे पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर भी मौके पर पहुंचे जिसके पूर्व 5.30 बजे सुबह बांसी-बस्ती मार्ग पर बांसी से 14 किमी0 की दूरी पर डिड़ई चौकी बैरियर पर चौकी इंचार्ज द्वारा दो ट्रकों पर सवार 07 लोगों को उतारा गया और उन सबसे पूछताछ करके उन्हें बांसी कोतवाली लाया गया जिन्हें बांसी के सैकड़ों लोगों ने देखा। बाद में अधिकारियों से परामर्श करने के बाद इन लोगों को पुनः दो जीप एवं मारुति में भरकर उन्हें बैलगाड़ी तिराहे पर लाया गया जहां पर पहले से पुलिस भारी संख्या में मौजूद थी। जिन्हें वहां उतार कर सड़क के पश्चिम दानवकुइयां पोखरे के पश्चिम भीटे पर जहां पर पेड़ है, वहां ले

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जाकर एक-एक करके गोलियों से भून दिया। इस घटना को गांव के तमाम अन्य लोगों ने देखा है। अतः हमारी मांग है कि इस अमानवीय और नृशंश हत्या की जांच सी0बी0सी0आई0डी0 से करायी जाए और इसमें शामिल सभी लोगों को तत्काल जिले से बाहर अन्यत्र जगहों पर भेजा जाए जिससे गवाहों को डराया-धमकाया न जा सके।

जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज के रायपुर के पास लोनी नाले पर बने पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आर0 के0 चौधरी-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र मोहनलाल गंज के अन्तर्गत ग्राम-रायपुर, पोस्ट-सरई गुदौली, ब्लाक-गोसाईगंज, जनपद-लखनऊ के पास 12 वर्ष पूर्व "लोनी" (बड़ा नाला) में सिंचाई विभाग द्वारा एक पुल बनाया गया था। इस नाले में शारदा सहायक नहर के अतिरिक्त पानी को समय-समय पर छोड़ा जाता है तथा बरसात का भी काफी पानी इस नाले में आता है। इस पुल की स्थिति बहुत कम समय में ही खराब हो गयी है। पुल के बीच की एक नींव के नीचे धंस जाने के कारण पुल बीच में क्रेक होकर बैठ गया है। जिससे किसी भी समय कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस पुल से प्रत्येक दिन कई भारी एवं हल्के वाहन गुजरते हैं तथा लगभग 10 गांवों के हजारों लोगों का आवागमन इसी पुल से है। पुल के गिर जाने से यह रास्ता पूरी तरह से बन्द हो सकता है जिससे क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो जायेगी। अतः अविलम्बनीय व्यापक लोक हित के इस मामले को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से उक्त पुल की शीघ्र मरम्मत हेतु अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तीस प्रतिशत से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त होने से छात्रों एवं शिक्षकों में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

5-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय देश के चार प्राचीनतम तथा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना एवं अग्रणी विश्वविद्यालय है। देश व प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में इस विश्वविद्यालय के छात्र उच्च पदों पर प्रतिष्ठित हैं। विश्वविद्यालय में 500 से अधिक शिक्षकों के पद हैं जिसमें इस समय लगभग 200 पद रिक्त चल रहे हैं जिसके कारण पठन-पाठन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। कुछ महीने लगभग 180 पदों का विज्ञापन हुआ था तथा 10 विभागों में 39 पदों पर चयन प्रक्रिया पूर्ण हो गयी थी। इसी बीच 11 सितम्बर, 2003 के शासनादेश द्वारा सभी प्रकार की भर्तियों के अग्रेतर आदेशों तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया। विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संस्था है। उसमें शासन का राजनैतिक कारण से हस्तक्षेप पूर्णतः अवैधानिक एवं अनुचित हैं शासन के उपरान्त निर्णय के कारण शिक्षकों में रोष व्याप्त है। शिक्षकों के 30 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त होने के कारण विश्वविद्यालय का शैक्षिक वातावरण बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। अतः सरकार का ध्यान उपरोक्त समस्या के समाधान हेतु आकृष्ट करता हूं।

यह प्रश्न लोक महत्व एवं अविलम्बनीय है। अतः नियम-301 के अन्तर्गत सूचना देता हूं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शाहजहांपुर नगर को गंदगी और महामारी से बचाने हेतु नालों की सफाई कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

6-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[शाहजहांपुर नगर में नालों की सफाई न होने के कारण सड़कों पर नाली नालियों का पानी बह रहा है नाले चोक हो जाने के कारण बदबू तथा सड़ान फैल रही है इस सम्बन्ध में कई बार सम्बन्धित लोगों का ध्यान आकर्षित करने के बाद भी अपेक्षित परिणाम (सफाई) नहीं हो सकी है। नगर में अन्टा चौराहा, झन्डा मोहल्ला लाल इमली ना चौरहा भारद्वाज कालोनी स्टेशन रोड, घण्टाघर मो0 रेती सरायकाइया ककराकलां अददफ की चौकी आदि का नाला ऊपर तक भरा रहने के कारण सड़कों पर पानी बह रहा है। बरसात का पानी भी इसमें और अधिक समस्या को गम्भीर किये हुये है यदि इन नालों की सफाई न की गयी तो गम्भीर बीमारी फैलने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि शाहजहांपुर नगर को गन्दगी व महामारी से बचाने के लिये तत्काल उपरोक्त नालों की सफाई कराई जावे।]

जनपद गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत राजापुर के पास गोधनी नदी पर पुल निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

7-काली चरन राजभर-

[मान्यवर, जिला गाजीपुर विधान सभा जहूराबाद के अन्तर्गत ग्राम राजापुर के पास गोधनी नदी में पुल न होने के कारण जनता को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जिसके कारण क्षेत्र की जनता में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है। अस्तु इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये सरकार से उक्त पुल की निर्माण की मांग करता हूं।]

सांसद तथा अन्य विधान मण्डलों की भांति उत्तर प्रदेश विधान मण्डल में विभागीय स्थाई समितियों का गठन किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 16 सितम्बर, 2003 को नियम-300 के अन्तर्गत तीन सूचनायें प्राप्त हुई हैं इसमें पहली सूचना डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी की है।

*डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी-

मान्यवर, सांसद तथा अन्य राज्यों के विधान मंडलों की भांति उत्तर प्रदेश विधान मण्डल में भी अनुदान मांगों पर भली-भांति विचार करने के लिए बजट समितियों को गठन करने के लिए वर्ष 1998 में रामनरेश यादव जी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी ने सदन को सिफारिशें भी समर्पित कर दी थीं, सर्वसम्मति से यह सिफारिशें रखी गई थीं आज जो सदस्य उधर बैठे हैं वह और सभी लोग इस बात से सहमत थे, सैद्धान्तिक रूप से सहमत थे कि प्रदेश के सभी विभागों

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के बजट पर प्रदेश की जनता की आकांक्षा के अनुरूप, कमेटियों में विचार-विमर्श के उपरान्त ही उसको सदन में प्रस्तुत किया जाए और इस तरह हम जनप्रतिनिधियों के रूप में अपने कर्तव्यों, अपने दायित्वों का निर्वहन अच्छी तरह से कर सकेंगे। इस पर श्रीमन् आपके द्वारा इस सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिए शासन से अनुरोध किया गया था। मैं औचित्य के माध्यम से व्यवस्था चाहता हूं आप इसमें शासन को निर्देशित करने की कृपा करें। इस सम्बन्ध में समिति ने जो सिफारिश की थी उसको सर्वसम्मति से स्वीकार कर ले। भविष्य में बजेट्री समितियां गठित करके उसके माध्यम से कार्य हो जिस प्रकार लोक सभा और अन्य प्रदेशों में हो रहा है इसके जरिए सरकार बेहतर बजट बना रही है इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

रामनरेश यादव जी, आपकी अध्यक्षता में चूंकि कमेटी गठित हुई थी इसलिए मैं आपको सुन रहा हूं।

श्री रामनरेश यादव-

बजेट्री समितियों के संबंध में एक कमेटी का गठन हुआ आपने भी इसमें भाग लिया इस पर गहराई के साथ विचार-विमर्श हुआ आपके सहयोग से कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी किसी कारणवश वह लागू नहीं हो सकी आज आवश्यकता इस बात की है, क्योंकि सदन के सदस्यों ने इससे इन्कार नहीं किया है, तब भी इन्कार नहीं किया था, सदस्यों को भाग लेने के लिए, अपनी बात कहने के लिए मौका मिलेगा। लोक सभा में बजट समितियों का गठन 1993 में हुआ था। कमेटी में 45 सदस्य रखे गए थे 30 सदस्य लोक सभा के थे और 15 सदस्य राज्य सभा के होते थे। सदस्यों की संख्या के बारे में नहीं कहना चाहता हूं जो कमेटी ने रिपोर्ट दी है आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सदस्यों ने विचार रखे समितियों का गठन नहीं किया गया। मैं कहना चाहूंगा कि दलों के सदस्यों की भावनाओं को स्वीकार करते हुए, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, आप लोक सभा में रहे हैं कई समितियों के चेयरमैन रहे हैं उसको ध्यान में रखकर, मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे और इसे लागू करने के लिए सदाशयता से विचार करेंगे।

*मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य ने जो सवाल उठाया है मुझे पता नहीं परम्परा क्या है लेकिन जो स्थायी समितियां हैं संसद की उसमें अपवाद स्वरूप सवाल उठाये हैं इसमें कई माननीय सदस्यों को मौका दिया गया है अभी वहां मैं था तब रक्षा मंत्रालय से संबंधी एक समिति का मामला उठा था उसमें कई तरह के सवाल उठे थे यह लीक कैसे हो गयी रिपोर्ट ? कभी-कभी अनुमति लेकर चर्चा के लिए दो-चार सदस्य बोलते हैं। पेट्रोलियम पम्प घोटाले को आपने सुना होगा, उसमें मैं चेयरमैन था उस कमेटी की अध्यक्षता मेरे द्वारा की गई, उसमें देखना था कि सरकार ने जो गाइड लाइन्स दी है उसके अनुसार काम किया गया है या नहीं ? यहां पर कुछ चर्चा सदस्यों ने उठायी है, यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसी सदस्य को मौका देते हैं या नहीं देते हैं। लेकिन सरकार अवश्य विचार करेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्यमंत्री के इस आश्वासन के बाद कि सरकार इस पर विचार करेगी। मैं इस सूचना को निस्तारित कर देता हूं।

मंत्रि परिषद् की सलाह के बिना आहूत वर्तमान सत्र की कार्यवाही अवैधानिक होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

दूसरी सूचना श्री लालजी वर्मा की है।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, संविधान के अनुच्छेद-174 के अनुसार विधान मण्डल का सत्र महामहिम राज्यपाल द्वारा आहूत किया जाता है। लेकिन इसी संविधान के अनुच्छेद-163 द्वारा राज्यपाल का कार्य कि किस तरह से वह विधान मण्डल का सत्र आहूत करेंगे, इसमें इस बात का उल्लेख है। "जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रि परिषद होगी" बाकी जो कार्य महामहिम राज्यपाल का है, वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है, इसलिए मंत्रि परिषद की सलाह होनी चाहिए थी। 2 तारीख से इस विधान सभा का सत्र आहूत किया गया जिसमें किसी मंत्रि परिषद की सलाह नहीं थी। यह बहुत ही गम्भीर और संवैधानिक प्रश्न है। इस पर मैं आपके माध्यम से व्यवस्था चाहता हूं कि इस बीच जो विधान सभा का सत्र हुआ, संविधान के किसी अनुच्छेद में उसका उल्लेख नहीं है, इसलिए जो कार्यवाहियां हुई हैं वह विधिमान्य होंगी या नहीं ? बिना मंत्रि परिषद की सलाह के किस प्रकार इस विधान सभा का सत्र आहूत किया गया ?

श्री अध्यक्ष-

संविधान के अनुच्छेद-164 में दिया गया है कि "मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री, राज्यपाल के प्रासादर्न्यत अपने पद धारण करेंगे।" महामहिम राज्यपाल जी ने मुख्यमंत्री पद पर शपथ दिला दी, बाकी शेष मंत्रियों की शपथ कब होगी, मंत्रि परिषद की कब बैठक होगी, इसकी समय सीमा इस अनुच्छेद में नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

मंत्रि-परिषद का गठन तो महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे, इस पर हमें कोई प्रश्नचिन्ह नहीं खड़ा करना है। मैं केवल इस मुद्दे पर व्यवस्था चाहता हूं कि विधान सभा का सत्र मंत्रि परिषद की सलाह के बिना कैसे किया गया ? क्योंकि विधान मण्डल का सत्र आहूत करना महामहिम राज्यपाल के विवेकानुसार नहीं है। यह मंत्रि परिषद की सलाह पर होना चाहिए। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

मंत्रि-परिषद के गठन के लिए कोई समय सीमा नहीं है। जब तक अन्य मंत्री शपथ नहीं लेते हैं, तब तक मुख्यमंत्री ही समस्त कार्य को निस्तारित करेगा। दूसरी बात जो सत्र आहूत करने की है, जो यह सत्र था, इसको महामहिम राज्यपाल ने आहूत किया था और इसमें पहला काम था कि उनके द्वारा तय समय सीमा में मुख्यमंत्री विश्वास मत हासिल करें और इसके लिए राज्यपाल ने विवेक से तिथि तय कर दी। इसलिए मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं।

विधायक निधि का नाम विधान सभा क्षेत्र विकास निधि रखे जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

तीसरी सूचना श्री प्रमोद कुमार की है, यह सूचना नियम-300 में नहीं आती है लेकिन आपने जो सुझाव दिया है, उस पर मुख्यमंत्री जी विचार कर लेंगे।

*श्री प्रमोद कुमार-

अध्यक्ष जी, जो लोग मेरे साथ सहमत न हों, वह लाभकारी लाभ न उठायें। जो विधायक निधि की स्थापना हुई है उससे संदेश जाता है कि यह निधि विधायक को मिल जाती है, जबकि यह उचित नहीं है, विधायक तो सिर्फ 75 लाख के अनुपात में सलाह देता है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह औचित्य का प्रश्न है कि जो निधि कभी विधायक को मिलती ही नहीं उसका नाम विधायक निधि कैसे हो सकता है ? इसका नाम अगर हो सकता है तो विधान सभा क्षेत्र विकास निधि हो सकता है। विधायक निधि के नाम से तो ऐसा लगता है कि यह निधि विधायक के पास आयी और विधायक उसे खर्च कर देता है निर्वाचन क्षेत्र में लोग कहते हैं कि यह आपकी निधि है आप इसे कार्य के लिए दें, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि विधान सभा के सदस्यों की गरिमा बनाये रखने के लिए, उनकी ईमानदारी पर संदेह न हो, इस विधायक निधि का नाम बदलकर विधान सभा क्षेत्र विकास निधि के नाम पर रख दें। यह परम्परा रही है जब हर मुख्यमंत्री आता है तो इसमें अपना कुछ न कुछ योगदान देता है। मैं जानता हूं कि मुख्यमंत्री जी को बहुत ही जर्जर वित्तीय व्यवस्था मिली है।

श्री अध्यक्ष-

लगता है कि आपकी पहले इस संबंध में बात हुयी है।

श्री प्रमोद कुमार-

देखिये मान्यवर, आपको भी आनन्द आने लगा। मैं यह नहीं कहता कि जब कोई नई दुल्हन आती है तो कुछ न कुछ नेग देना पड़ता है। यह राशि 25 से 30 लाख से बढ़कर अब यह 75 लाख है, यह संख्या अच्छी नहीं लगती। मेरी अपनी ओर से अनुरोध है कि 75 लाख की राशि को अगर 1 करोड़ कर दें तो सदन आपका आभारी रहेगा। भाई-बहन के प्रेम ने प्रदेश का कबाड़ा किया है। इस तरह से विधान सभा में कुछ खास गांवों और कुछ खास विधान सभाओं का विकास हुआ है मेरा पूरा का पूरा क्षेत्र अधूरा रह गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

यह तो कोई सूचना भी नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मेरी बात तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

यह नियम के अन्तर्गत नहीं आती है।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय मुख्यमंत्री जी यहां उपस्थित हैं। उनसे अनुरोध है विधायक निधि का नाम बदलकर विधान सभा क्षेत्र विकास निधि कर दिया जाये और 75 लाख की धनराशि को बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया जाये।

* नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, कृपया सदन को यह सूचित कर दें कि माननीय नेता श्री प्रमोद कुमार जी सत्ता पक्ष के साथ हैं या विपक्ष के साथ।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, माननीय टण्डन जी गलतफहमी दूर कर लें। मैं कहना चाहता हूं कि मैं पूरी तरह से सत्ता पक्ष के साथ हूं। यह गठबंधन न होता तो आप यहां से वहां कैसे बैठे होते ? हम सभी एक साथ हैं। अगले 20 सालों तक आप विपक्ष में बैठने वाले हैं। हमारा रिश्ता दल के नाते के रूप में है न कि भाई-बहन के रिश्ते के रूप में।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि विधायक निधि का प्रश्न विधायकों की प्रतिष्ठा के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने महसूस किया है कि विधायक निधि से विधायकों की प्रतिष्ठा दिन-प्रतिदिन गिर गयी है। मेरा अनुरोध है कि विधायक निधि को बन्द कर दिया जाये तो विधायकों की प्रतिष्ठा बच जायेगी।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, माननीय कांग्रेस पार्टी के नेता प्रमोद कुमार जी यह स्वीकार भी कर रहे हैं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत जर्जर हुयी है। जहां तक विधायक निधि के प्रावधान की बात है हम उससे सहमत हैं, यह अच्छा काम है, जिन्होंने ऐसा काम किया, मान्यवर, मैं किसी माननीय सदस्य पर आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन जो माननीय राम गोविन्द चौधरी जी ने कहा है, उसको गम्भीरता से लेना चाहिए, हम लोग सार्वजनिक जीवन में आये हैं और सार्वजनिक जीवन में हम कोई आदर्श प्रस्तुत करें, हम इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को कैसे मजबूत करें, इस पर विचार करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय बड़े अफसोस की बात है, चाहे शासन निधि हो, चाहे विधायक निधि हो अगर सच्चाई से उसका उपयोग किया जाये तो उस पर कोई उंगली भी नहीं उठा पायेगा और जनता को उसका लाभ दिखाई

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पड़े, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, इसीलिए लोगों को इस पर उंगली उठाने का मौका मिलता है। मान्यवर, आप जैसा तय करें हम उससे सहमत हैं लेकिन अगर सभी का सहयोग रहा और प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधरी तो जैसा माननीय प्रमोद कुमार जी ने अपना सुझाव रखा है, उस पर हम विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय प्रमोद कुमार जी की सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसलिए यह अग्राह्य होती है, लेकिन चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम इस पर विचार करेंगे, तो वह उस पर विचार करेंगे।

उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 2003 †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 2003 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 को सदन के पटल पर रखता हूं।

सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2003 †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2003 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 2003 †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 2003 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2003 †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2003 को सदन के पटल पर रखता हूं।

नोट :- † छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2003 †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2003 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2003 †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2003 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अध्यादेश, 2003'

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अध्यादेश, 2003 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2003 †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2003 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अध्यादेश, 2003 †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अध्यादेश, 2003 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2003 †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2003 को सदन के पटल पर रखता हूं।

नोट :-' छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2003 †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2003 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को भवन निर्माण या वाहन क्रय हेतु अग्रिम) (छठवां संशोधन) नियमावली, 2003 †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को भवन निर्माण या वाहन क्रय हेतु अग्रिम) (छठवां संशोधन) नियमावली, 2003 को सदन के पटल पर रखता हूं।

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2003 में नियम-301 के अन्तर्गत ग्राह्य सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रथम सत्र, 2003 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-301 के अन्तर्गत ग्राह्य सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या-14 (3) की अपेक्षानुसार, सदन के पटल पर रखता हूं।

नोट :- † छापा नहीं गया।

संविधान (पंचानवे संशोधन) विधेयक, 2003 द्वारा 'भारत का संविधान' में प्रस्तावित संशोधन के अनुसमर्थन का पत्र ††

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (पंचानवेवां संशोधन) विधेयक, 2003 द्वारा "भारत का संविधान" में किये जाने के लिए प्रस्तावित संशोधन जो उसके अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (ग) के अन्तर्गत आता है, के अनुसमर्थन के सम्बन्ध में राज्य सभा सचिवालय के प्राप्त पत्र को, उक्त विधेयक एवं संसद के तद्विषयक वाद-विवाद की प्रतियों सहित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 182 के उप नियम (1) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखेंगे।

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2003

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2003, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 4 मार्च, 2003 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 5 मार्च, 2003 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2003

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2003 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 4 मार्च, 2003 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 5 मार्च, 2003 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (2002-2003 का अनुपूरक) विधेयक, 2003

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश विनियोग (2002-2003 का अनुपूरक) विधेयक, 2003 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 05 मार्च, 2003 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 06 मार्च, 2003 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 12 मार्च, 2003 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2003 का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया।

नोट :- †† छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2003

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2003 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 05 मार्च, 2003 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 06 मार्च, 2003 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 12 मार्च, 2003 को प्राप्त हो गई और सन् 2003 का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2003

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2003 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 04 मार्च, 2003 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 05 मार्च, 2003 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 12 मार्च, 2003 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2003 का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2003

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2003 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 04 मार्च, 2003 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 05 मार्च, 2003 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 12 मार्च, 2003 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2003 का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2003

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2003 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 04 मार्च, 2003 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 05 मार्च, 2003 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 12 मार्च, 2003 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2003 का उत्तर प्रदेश का पांचवां अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-24 में कुछ नहीं है। अब मैं मद संख्या-25 लेता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (2002-2003) का पैंतीसवां प्रतिवेदन †

श्री दद्दू प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति (2002-2003) का पैंतीसवां प्रतिवेदन, जो जनपद कुशीनगर (पडरौना) के निर्वाचन क्षेत्र संख्या-194 में स्थित अम्बेडकर ग्रामों के इन्दिरा आवासों के निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री के प्रयोग एवं धन के दुरुपयोग के विषय में है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (2002-2003) का छत्तीसवां प्रतिवेदन †

श्री दद्दू प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति (2002-2003) का छत्तीसवां प्रतिवेदन, जो ग्राम-साढ़ूपुर थाना-शिकोहाबाद, जनपद-मैनपुरी में दिनांक 30 सितम्बर, 1981 को दस हरिजनों की निर्मम हत्या की घटना से संबंधित ग्यारहवें प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों के संबंध में है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2002-2003) का प्रथम प्रतिवेदन †

श्री वीरेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2002-2003) का प्रथम प्रतिवेदन, जो आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के वर्ष 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 के प्राक्कलनों के परीक्षण के संबंध में है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2002-2003) का द्वितीय प्रतिवेदन †

श्री वीरेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2002-2003) का द्वितीय प्रतिवेदन, जो सतर्कता विभाग के वर्ष 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 के प्राक्कलनों के परीक्षण के संबंध में है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2002-2003) का सप्तम् प्रतिवेदन †

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2002-2003) का सप्तम् प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक

नोट :- † छापा नहीं गया।

की रिपोर्ट वर्ष 1990-91 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य औद्यागिक विकास निगम लिमिटेड से संबंधित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2002-2003) का अष्टम् प्रतिवेदन †

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2002-2003) का अष्टम् प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1997-98 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश जल निगम, रिपोर्ट वर्ष 1994-95 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित, यू0पी0 प्रोजेक्ट एण्ड ट्यूबवेल कारपोरेशन लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम लिमिटेड तथा रिपोर्ट वर्ष 1985-86 व 1989-90 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड से संबंधित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2002-2003) का नवम् प्रतिवेदन †

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2002-2003) का नवम् प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1995-96 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड तथा रिपोर्ट वर्ष 1990-91 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड से संबंधित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2002-2003) का दशम् प्रतिवेदन†

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2002-2003) का दशम् प्रतिवेदन, जो समिति (1997-98) के ग्यारहवें प्रतिवेदन में निहित, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड से संबंधित संस्तुतियों के कार्यान्वयन पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2002-2003) का एकादश प्रतिवेदन†

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2002-2003) का एकादश प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1988-89 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ यू0 पी0 लिमिटेड (पिकप) तथा रिपोर्ट वर्ष 1993-94 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित

नोट :- † छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड से संबंधित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 15 सितम्बर, 2003 को हुई अपनी बैठक में सदन के वर्तमान सत्र के कार्यक्रम के विषय में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 16 सितम्बर, 2003 को निधन के निर्देश लिए जाएं।

2-दिनांक 16 एवं 17 सितम्बर, 2003 को प्रश्नकाल न हो।

3-दिनांक 16 सितम्बर, 2003 के स्थान पर दिनांक 17 सितम्बर, 2003 को (वित्तीय वर्ष 2003-2004 के अन्तरिम आय-व्ययक तथा उसके एक भाग के लिये लेखानुदान के प्रस्तुतिकरण के उपरान्त) वित्तीय वर्ष 2003-2004 के एक भाग के लिये लेखानुदान संबंधी प्रस्ताव पर विचार तथा मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन उस पर विचार एवं उसका पारण।

4-दिनांक 16 सितम्बर, 2003 और 17 सितम्बर, 2003 तक का कार्यक्रम संशोधित रूप में निम्न प्रकार रखा जाए :-

सितम्बर, 2003

---

16 मंगलवार — औपचारिक कार्य यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हों।

17 बुधवार — 12.40 बजे अपराह्न

1-वित्तीय वर्ष 2003-2004 के अन्तरिम आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण।

2-वित्तीय वर्ष 2003-2004 के एक भाग के लिये लेखानुदान का प्रस्तुतीकरण।

3-वित्तीय वर्ष 2003-2004 के एक भाग के लिए लेखानुदान के प्रस्ताव पर विचार एवं मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो श्री मोहम्मद आजम खां, मंत्री एवं सदस्य, कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की वर्ष 2003-2004 की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थाई समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष-

एक सूचना मुझे इस सदन को देनी है :-

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की वर्ष 2003-2004 की "लोक लेखा समिति", "प्राक्कलन समिति", "अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति," "सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति" और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थाई समितियों के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :-

1-नाम निर्देशन करने की अंतिम तिथि तथा समय	मंगलवार 30 सितम्बर, 2003 को अपराह्न 4.00 बजे तक
2-नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय	बुधवार 01 अक्टूबर, 2003 को अपराह्न 3.00 बजे (कक्ष सं0-15, विधान भवन, लखनऊ में)
3-नामों की वापसी की तिथि तथा समय	शुक्रवार 03 अक्टूबर, 2003 को अपराह्न 4.00 बजे तक
4-निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान	
(क) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति के लिए	मंगलवार, 7 अक्टूबर, 2003
(ख) मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के लिए	

विधान भवन, लखनऊ स्थित समिति कक्ष संख्या-44-ख में पूर्वाह्न 10-30 बजे से 4-00 बजे तक होगा।

उक्त निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जायेगा।

उक्त निर्वाचनों संबंधी नाम-निर्देशन-पत्र पटल कार्यालय से कार्यालय समय के भीतर प्राप्त किये जा सकते हैं।

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिये सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष-

एक सूचना और सदन को देनी है-

चन्द्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिये एक सदस्य, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैज़ाबाद के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिए एक सदस्य एवं सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोदीपुरम्, मेरठ के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :-

1-नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम की तिथि तथा समय	मंगलवार 30 सितम्बर, 2003 को अपराह्न 4.00 बजे तक
2-नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय	बुधवार 01 अक्टूबर, 2003 को अपराह्न 3.00 बजे (कक्ष सं0-15, विधान भवन, लखनऊ में)
3-नामों की वापसी की तिथि तथा समय	शुक्रवार 03 अक्टूबर, 2003 को अपराह्न 4.00 बजे तक
4-मत पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय (यदि मान्य नाम-निर्देशनों की संख्या के फलस्वरूप निर्वाचन आवश्यक हुआ)	मंगलवार, 28 अक्टूबर, 2003 को अपराह्न 3.00 बजे तक
5-मतपत्रों की परिनिरीक्षा एवं गणना की तिथि	बुधवार, 29 अक्टूबर, 2003 (समिति कक्ष संख्या-15 में)

उक्त निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा डाक शलाका से किया जायेगा।

उक्त निर्वाचन संबंधी नाम-निर्देशन-पत्र पटल कार्यालय से कार्यालय समय के भीतर प्राप्त किये जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

इसमें कुछ नहीं है। मद संख्या-37 में कार्य-स्थगन प्रस्ताव है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से चाहता हूं कि यह जो समितियों वाला मामला है, इसके लिये अध्यक्ष जी को नामित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

उसके लिये शासन की ओर से प्रस्ताव आता है, वह बाद में आयेगा।

नियम-311 एवं नियम-51 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 16 सितम्बर, 2003 को नियम-311 में प्राप्त दो सूचनायें एवं नियम-51 की दो सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल

11 सूचनायें प्राप्त हुयीं। जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयीं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुखदेव राजभर, श्री लालजी वर्मा, श्री जगदीश नारायण राय व श्री दद्दू प्रसाद की है, इसी सूचना को डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0 विनोद तिवारी, श्री आर0 के0 सिंह पटेल, श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री जी0 सी0 दिनकर तथा श्री आर0 एस0 कुशवाहा ने भी दिया है, यह सूचना उत्तर प्रदेश में बाढ़ के कारण बिगड़ी स्थिति के संबंध में है। दूसरी सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की, तीसरी सूचना श्री इन्द्रजीत सरोज की, चौथी सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री काली चरण राजभर, श्री सत्य नारायण, श्री सतीश वर्मा तथा श्री लालजी वर्मा की है। पांचवीं सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की है।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'-

नियम-56 में मेरी भी एक सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना नियम-56 में नहीं आती। मुआवजे के संबंध में है। इसको नियम-51 में परिवर्तित किया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इस पहली सूचना पर श्री सुखदेव राजभर जी पहले अपने विचार रखेंगे।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, नियम-56 के अन्तर्गत जिस विषय को आपने प्राथमिकता के आधार पर, बाढ़ से प्रभावित जनता के दुखों को सुनाने का समय दिया, इसके लिये हम आपका आभार प्रकट करते हैं। आपने कहा कि इसमें कार्यस्थगन क्या होगा, सत्यता तो यह है कि पहले इस पर चर्चा हाने के बाद ही और कार्यों को लेना चाहिये था। मान्यवर, आज पूर्वांचल के तमाम जनपदों को, जो बाढ़ से प्रभावित हुये हैं, यदि इस समय वहां जाकर देखा जाय, हमारे जनपद आजमगढ़ में 250 गांव जलमग्न हो गये हैं, वहां लोग अपने छोटे-छोटे बच्चों और पशुओं को लेकर बगैर भोजन, कपड़ों की व्यवस्था के बन्धों पर गुजर-बसर करने के लिये मजबूर हैं और आसमान के नीचे सो रहे हैं।

इसी तरह बलिया जनपद में पुनः कटान शुरू हुआ है, आज वहां भी भयावह स्थिति बनी हुयी है। रसड़ा के अतरपुइया और मल्लावां में जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनकी फसलें डूब गयी हैं। अभी हम लोग अपनी पार्टी की उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री बहन मायावती जी के साथ कार से कुछ गांवों का दौरा किये थे, उनके साथ हम लोग भी थे। वहां की जनता ने इस बात को कबूल किया कि वहां इस नई सरकार का कोई भी मंत्री अथवा जन प्रतिनिधि दुख-सुख सुनने के लिये नहीं आया और आज जगह-जगह प्रदेश में जलसे हो रहे हैं, कहीं सोने का मुकुट पहना जा रहा है, कहीं चांदी का मुकुट पहना जा रहा है। इन बाढ़ पीड़ित जगहों पर तमाम घर ध्वस्त हो गये हैं। हमारे यहां हरिहरपुर में 5-6 साल की दो बच्चियां दबकर मर गयीं, इसी तरह दो औरतों के पैर टूट गये हैं, बाढ़ के कारण तमाम औरतों के सिन्दूर मिट गये हैं, अनेक मृत्यु हुयी हैं, सैकड़ों औरतों की गोद सूनी हो गयी है, काफी संख्या में पशुओं की भी मृत्यु हुयी है, यदि इसे ग्राह्यता पर लिया जाय।

मान्यवर, इसके लिए सदन में इन्सानियत का बोलबाला होना चाहिए। जहां सैकड़ों मां-बेटियों के सिन्दूर धो गये, पशु मर गये, चारा नहीं मिल रहा है, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने इलाहाबाद, कानपुर का दौरा किया वहीं उन्हें आजमगढ़ और बलिया भी जाना चाहिए था अगर जमीन से होकर न जाते तो जमीन के ऊपर से ही चले जाते तब भी जनता को संतोष हो जाता कि हमारे मुख्यमंत्री जी ऊपर से चले गये हैं तो हमारी कुछ पीड़ा कम हो गयी। श्री नारद जी ने भी यह स्वीकार किया है कि जो राहत कार्य चल रहा है वह बहुत ढ़ीला है, इस प्रकार का जनाक्रोश जनता में है। जहां पूर्वांचल पूरा ग्रसित है, स्थिति भयावह हो गयी है, कटाने होती जा रही हैं, जनता उस कटान को रोकने का काम कर रही है, कोई प्रशासनिक अधिकारी उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा है, वहां अस्थिरता की स्थिति पनप रही है, इसको कोई अधिकारी गम्भीरता से लेने के लिए तैयार नहीं है।

आज बाढ पीड़ित लोग अपने बिस्तरों को बांध रहे हैं, जो थोड़ी बहुत राहत उन्हें मिल भी रही है, वह वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। मैं सदन को बधाई देता हूं तथा उन जनसहयोगियों का आभार प्रकट करता हूं जो कि बड़े पैमाने पर वहां सहयोग दे रहे हैं। स्वयं सेवी संस्थाएं जनता में उन गरीबों के बीच में जाती हैं तो तमाम भूखे लोग उन पर टूट पड़ते हैं, आज इस तरह से बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए सदन में चर्चा यदि नहीं होगी तो आखिर कहां होगी। प्रदेश में 200-250 लोग मर गये, फसलें बरबाद हो गयीं और उन लोगों को सहायता नहीं मिल रही है लेकिन तब भी आपका हृदय बहुत उदार है और मान्यवर, आप उन गरीबों के लिए जितना भी समय दे देंगे, यह सदन आपका आभारी रहेगा। आज मान्यवर मेरी यह मांग है कि जो बाढ़ पीड़ितों को दुःख झेलने पड़ रहे हैं, जो मवेशियों, फसलों का नुकसान हो रहा है, जमीन पर बैठने के लिए जगह नहीं है, तमाम संक्रामक रोग फैल रहे हैं, यह सब बहुत बड़ा मसला है, अब ग्राह्यता के लिए इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है ?

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप लोग शांत रहिये, आप इनको अपनी बात कहने दीजिए।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो मृत्यु हुई हैं, जो लोग बाढ़ के प्रकोप से पीड़ित हैं, इसको ग्राह्यता का सवाल मानकर इस पर चर्चा होनी चाहिए और मैं मांग करता हूं कि मृतक परिवारों को 5-5 लाख रुपया दिया जाय। साथ ही साथ मान्यवर बाढ़ पीड़ितों को जो राहत दे सके वह देना चाहिए केवल लगान की वसूली स्थगित करने से कुछ नहीं होगा।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान/शोर)

श्री अध्यक्ष-

कृपया शान्त रहिये।

*श्री वसीम अहमद-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आजमगढ़ में पिछली बार जब बाढ़ आयी हुई थी तो उस समय श्री राजभर जी संसदीय कार्यमंत्री थे लेकिन देखने तक नहीं गये। जिस समय वहां बन्धा कटा तो न तो मा0 मंत्री जी गये न ही उस क्षेत्र का विधायक वहां पहुंचा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया बैठिये।

श्री कमाल यूसुफ मलिक-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

कृपया बैठिये।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, जहां पर तमाम लोगों की मृत्यु हो गयी और तमाम दुःखी परिवार हैं तो इसकी ग्राह्यता इसी पर हो जाती है। आप एक संवेदनशील व्यक्ति हैं और हमेशा गरीबों और दुखियों की बात सुनी है इसलिए मेरा पूरा भरोसा है कि आप इस पर चर्चा करा लेंगे तथा हमारी पार्टी ने जो मांग की है उसकी घोषणा कराने का निर्देश मुख्यमंत्री जी को देंगे। मान्यवर, यह सूचना ग्राह्य है इसलिए इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

अध्यक्ष जी, एक निवेदन करूंगा जो मैंने लिखकर दिया है, कल ही दो लोगों की डूबकर मृत्यु हो गयी है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपको भी सुन लूंगा।

* श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, जिस दिन यहां पर 8 तारीख को बहुमत सिद्ध हो रहा था और रात्रि में 8.00-8.30 बजे तक हम लोग मौजूद थे, उसी रात्रि जनपद चित्रकूट में तथा पूरे बुन्देलखण्ड में अचानक बाढ़ की विभीषिका उत्पन्न हो गयी। मेरे विधान सभा क्षेत्र कर्वी जनपद-चित्रकूट में अचानक बाढ़ आने से चित्रकूट की पवित्र स्थली के रहने वाले साधु-सन्तों से लेकर गांव के आम नागरिक बाढ़ की विभीषिका की चपेट में आ गये और बाढ़ ने जो ताण्डव नृत्य किया वह प्रदेश में किसी से छिपा नहीं है। मान्यवर, आज कई दिन हो गये चित्रकूट जनपद के लगभग 4 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में हैं और हर गांव में लगभग दो सौ से तीन सौ घर तबाह हो गये हैं, बरबाद हो गये हैं उनको सिर छिपाने के लिए जगह नहीं है। वहां का जो प्रशासन है, जो सरकार बनी है वह भी उस क्षेत्र के बाढ़ के संबंध में गम्भीर नहीं है। मान्यवर, वहां पर कोई भी राहत कार्य नहीं चलाया जा रहा है। खाने के लिए लोग दाने-दाने को मोहताज हैं। वहां पर दो-दो लीटर मिट्टी का तेल और एक दियासलाई व मोमबत्ती मुफ्त में दिया जा रहा है। एक बुढ़िया डिब्बा लेकर के आयी और कहने लगी कि विधायक जी मुझे भी दो लीटर मिट्टी का तेल और माचिस दिला दीजिए तो मैंने कहा कि खाने के लिए जब कुछ नहीं है तो आप इसका क्या करोगी ? उसने कहा कि मिट्टी का तेल डालकर दियासलाई से आग लगा लूंगी। मान्यवर, खाने के लिये एक दाना भी बांटा नहीं गया है। केवल मिट्टी का तेल और दियासलाई दी गयी है। एक-एक किलो आटा या चावल नहीं दिया गया है। पानी से बचाव के लिए

बरसाती, टेंट आदि की व्यवस्था नहीं की गयी। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जनपद चित्रकूट तथा बुंदेलखण्ड में जो बाढ़ से प्रभावित हैं वहां के किसानों का लगान माफ किया जाय और जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं उन लोगों को मुफ्त में एक-एक आवास दिया जाय और वहां पर जो करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गयी है उसके लिये यहां से एक समिति भेजकर क्षति का आकलन कराया जाय और उनको मुआवजा दिलाया जाय। मैं आपसे यह भी निवेदन ५.. चाहता हूं कि यह विषय गम्भीर है, तात्कालिक है और लोकमहत्व का है। इस तात्कालिक विषय पर, गम्भी. विषय पर सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा कराने की मैं मांग करता हूं। धन्यवाद।

*श्री दद्दू प्र ाद-

म वर, जनपद झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट तथा बांदा आदि सभी जनपद बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। अकेले चित्रकूट जिले में 25 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है तथा अन्य जनपदों में भी बड़े पैमाने पर बाढ़ से नुकसान हुआ है। पूरा बुन्देलखण्ड बाढ़ से प्रभावित है मुख्यमंत्री का प्रशासनिक नियंत्रण नहीं रह गया है। इस मामले में कोई प्रशासनिक निर्देश नहीं भेजे गये हैं। प्रशासन संवेदनशून्य हो गया है। अभी जब माननीय राजभर जी बोल रहे थे तो सत्ता पक्ष के लोगों ने संवेदनहीनता जाहिर की। यह सत्ता के मद में बौखलाये हुए हैं। इनको जनता के दुख-दर्द और बाढ़ से कोई सरोकार नहीं है। मुख्यमंत्री जी के कोई निर्देश बाढ़ के संबंध में नहीं हैं। अपने सेंस, बुद्धि का इस्तेमाल करके अधिकारी जो चाह रहे हैं वह कर रहे हैं। उनका बोरिया-बिस्तर बंधा हुआ है कि न जाने कब हमें हटाया जाने वाला है इसलिए इस लोक महत्व के विषय पर सदन की कार्यवाही को रोककर इस विषय पर चर्चा करायें। बाढ़ के कारण जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। (शोर) हमारे माननीय सदस्य आर0 के0 सिंह पटेल जी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था और वहां पर बाढ़ से पीड़ित लोगों को मदद देने का उन्होंने काम किया है। मैं चाहता हूं कि इस लोक महत्व के विषय और इस तात्कालिक विषय पर सदन की कार्यवाही को रोक कर चर्चा कराने की कृपा करें।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्दर बाढ़ के कारण लगभग आधा उत्तर प्रदेश प्रभावित है और जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि बाढ़ से 33 जिलों के 3,104 गांव जलगमग्न हो गये हैं। 83 तहसीलों की 13 लाख आबादी बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ के कारण 8 हजार मकान क्षतिग्रस्त हो गये हैं और 1543 मकान पूरी तरह से नष्ट हो गये हैं। बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश के अन्दर 548 हजार हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है और बाढ़ के कारण मरने वाले लोगों की संख्या लगभग 200 है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग मरे हैं उनके परिवार के लोगों को दो लाख रुपये कम्पशेसन के रूप में दिये जायें। मान्यवर, मैं जनपद इलाहाबाद से आता हूं। इलाहाबाद के 37 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं वहां की भूमि का क्षेत्रफल 52,572 हेक्टेयर है जिसमें से 35,523 हेक्टैयर भूमि कृषि क्षेत्र है। इसमें से 28 हजार हेक्टेयर भूमि पर फसल बोयी गयी थी मान्यवर, दो लाख कास्तकार इलाहाबाद में बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और लगभग 2 करोड़, 42 लाख रुपये की क्षति बाढ़ से इलाहाबाद जनपद

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में हुई है। मान्यवर, मैं इलाहाबाद शहर में हमारा जो विधान सभा क्षेत्र है उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। काफी हिस्सा जलगमग्न है। तीन हजार मकान बुरी तरह प्रभावित हैं। इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि गंगा और यमुना नदियों का जल स्तर नीचे जा रहा है इसमें महामारी न फैले इसलिये स्वास्थ्य विभाग को सक्रिय होने की आवश्यकता है। जहां-जहां प्रदेश के अन्दर राहत कार्य की आवश्यकता हो वहां-वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं चाहे वह किसी भी पार्टी के हों उनको इन्वाल्व किया जाये ताकि सहायता कार्य सही ढंग से हो सके। जो लोग प्रभावित हैं उनको मिल सके। यह तात्कालिक लोक महत्व का प्रश्न है इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर चर्चा करा ली जाए।

डा0 विनोद तिवारी-

अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान अपने जनपद की शारदा नदी और देउवा नदी से जो क्षति हुई है उसकी तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं शारदा नदी से भगवान पुरी, निवोबा नगर व कई गांव कट गये हैं उनका नामोनिशान नहीं रह गया है कोई वजूद नहीं हैं नेहरू नगर, श्रीनगर, शास्त्रीनगर आजाद नगर आदि दर्जनों गांव हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं उनको कोई सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है सभी जिलाधिकारियों का आलम यह है कि वह इस चिन्ता में हैं कि हमें यहां रहना है या नहीं। इसलिये वह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में नहीं गये हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह सभी जिलाधिकारियों को निदेश दें कि व तत्काल ऐसी जगहों पर स्वयं जाकर राहत कार्य उपलब्ध करायें। सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनके घर कट गये हैं और वह खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं उनको गृह अनुदान नहीं दिया गया है, अहेतुक सहायता नहीं दी गयी है दो लीटर मिट्टी का तेल और पांच किलो चावल गया है इससे क्या होने वाला है ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनपद में शारदा नदी और देउवा नदी के द्वारा जो नुकसान हुआ है वहां तत्काल युद्ध स्तर पर राहत कार्य एवं सहायता उपलब्ध कराई जाए और ऐसे ज्वलंत प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराने की मैं मांग करता हूं।

*श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रदेश में विशेष रूप से पूर्वांचल में जो भयंकर बाढ़ आई है जिस पर श्री सुखेदव राजभर और अन्य माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं जिनके मकान गिर गये हैं। मकान का अनुदान बहुत कम होता है 800 रुपये होता है, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि जिनके मकान गिर गये हैं और जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिये 20 हजार रुपये गृह अनुदान दिया जाए। दूसरी तरफ जो लोग बाढ़ से मर गये हैं उनके परिवार वालों को कम से कम 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए दूसरी समस्या जो मैंने नियम 51 में दिया था मेरे निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित है यह बाढ़ कोई नदी की बाढ़ नहीं है एक तिरुआ नाला है उस नाले के पानी की निकासी न होने के कारण अनेक गांव प्रभावित होते हैं इसमें 15-20 गांव विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। दूसरी तरफ जो एन0 पी0 टी0 सी0 का प्रोजेक्ट है उनके द्वारा जहां से पानी की निकासी होती है वहां पर एक ऐश डेम बना दिया गया जिसके कारण निकासी नहीं हो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पाती है इससे कनौड़ा शरीफपुर आदि 10-12 गांव प्रभावित होते हैं और वहां फसलें नष्ट हो जाती हैं एक जे0 पी0 सी0 की सीमेंट फैक्ट्री भी वहां पर है इन दोनों के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और 8-10 गांवों में फसलें नष्ट हो जाती हैं पहले पावर कारपोरेशन द्वारा किसानों को मुआवजा दिया जाता था लेकिन अब एन0 टी0 पी0 सी0 द्वारा कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जिनकी पूरी तरह से इन दोनों फैक्ट्रियों के कारण फसल नष्ट हुई है। जिन लोगों की फसल नष्ट हुई है उनको इन फैक्ट्रियों से क्षति पूर्ति दिलाई जाय इसके साथ-साथ यह भी बताना चाहता हूं कि दोहट ड्रेन के कारण 20-25 गांव प्रभावित होते हैं। इसमें मैंने नियम-51 के अन्दर सूचना दी थी सरकार से उस पर वक्तव्य दिला दें तो निश्चित रूप से अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि जब यह जांच करायेंगे तो इनको हमारी बात उचित लगेगी और उसके अनुसार कार्यवाही हो जायेगी। इसके साथ ही निवेदन करना चाहता हूं कि बाढ़ के प्रभाव से जो लोग मरे हैं वहां मृतक परिवार को 5 लाख रुपये दिये जायं और जिनके घर बाढ़ के कारण गिर गये हैं, नष्ट हो गये हैं वहां प्रत्येक परिवार को 20 हजार रुपये गृह अनुदान दिलाने की आपके माध्यम से मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

हरीश जी, आपने अपनी सूचना में, कार्यस्थगन का अनुरोध ही नहीं किया है। आपने केवल मुआवजे की मांग की है इसलिए इसको नियम-51 में कर दिया है। लेकिन आप अपनी बात कह लीजिए क्योंकि बाढ़ से संबंधित है।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'-

मान्यवर, समाचार पत्रों मे जो समाचार आ रहे हैं वह पूर्वी उत्तर प्रदेश की नदियों में जो बाढ़ है उसके बारे में है। सरजू, राप्ती और गंगा नदियों के अतिरिक्त बाढ़ से भी उत्तर प्रदेश भी प्रभावित है। इन क्षेत्रों के बारे में भी समाचार पत्रों में आना चाहिए। जहां तक मेरे क्षेत्र की बात है। वहां पर एक गांव है रमना । वहां पर पानी प्रवेश कर गया है और मैंने जिलाधिकारी को कहा था कि वहां के लिए नाव की व्यवस्था कर दी जाय लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गयी। वहां पर प्यारे लाल नामक व्यक्ति बच्चों को व सामान को लेकर निकल रहा था उसने हड़बड़ देकर बच्चों को तो बाहर निकाल लिया लेकिन खुद आते-आते रास्ते में पैर फिसल जाने के कारण मेड़ से पानी में गिर कर मर गया। यह 13 तारीख की घटना है। उस समय मैं अयोध्या मे था उसके पूर्व सदस्य विधान परिषद् श्री रामाज्ञा प्रसाद ओझा के दाह संस्कार में भाग लेने गया था मौके पर उपस्थित पूर्व विधायक डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव बात चीत करके डी0एम0 से 50 हजार रुपये की सहायता ली और जब रात को मैं 1.00 बजे पहुचा तो जाकर उसके परिवार (विधवा पत्नी) को चेक दिया। इसी प्रकार से दूसरी घटना है हमारे उसी क्षेत्र के छितौनी गांव में अशोक राजभर नाम का व्यक्ति अपने सामान व बच्चों को बचाने के लिए आगे बढ़ा था तो पानी में डूब कर मर गया लाश मिली तब दाह संस्कार हुआ। सवाल इतना ही नहीं है कि मृतकों के परिवार को मुआवजा दिया जाय बल्कि जिनके घर बाढ़ के कारण गिर गये हैं, नष्ट हो गये हैं उनको बनवाने के लिए पैसा दिया जाय। बहुत सी औरतें विधवा हो गयी हैं उनको विधवा पेंशन दी जाय। लोगों की फसलें नष्ट हो गयी हैं। अब तो डी0 एम0 की भी रिपोर्ट है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा फसल नष्ट हुई है। उसके अनुसार उनको मुआवजा दिया जाय। बाढ़ की इस भयंकर स्थिति में तमाम तरह की बीमारियां फैल रही हैं और आपका स्वास्थ्य विभाग कुछ करता नजर नहीं आ रहा है। बाढ़ की समस्या से बचने के लिए नेपाल के साथ बातचीत करके इस

समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। अभी समाचार आ रहा है कि पानी का स्तर घटना शुरू हुआ है परन्तु सतर्क दृष्टि से नाव की जरूरत जहां पर है वहां पर भेजी जाय। यह जो लोग मरे हैं इसमें स्व0 प्यारे लाल मजदूरी करता था तीन पुत्र और तीन पुत्रियां हैं। 10, 6, 4 साल के बच्चे हैं। इसी तरह से स्व0 अशोक भी मजदूरी करता था इनके परिवार की आय का कोई साधन नहीं है। ऐसे परिवारों को सहायता दी जानी चाहिए। घर का एकमात्र पालन-पोषण करने वाला था। वृद्ध माता पिता, दादी और तीन बहिनें हैं। मजदूरी करके ही परिवार का पालन पोषण करता था। आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इन दोनों परिवारों को क्रमशः 2 लाख तथा एक लाख रुपया की सहायता दी जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सात सदस्यों ने ग्राह्यता पर विचार व्यक्त किये हैं उसके बाद शासन से सुन लेते हैं।

श्री उदयभान करवरिया-

माननीय अध्यक्ष जी मेरे विधान सभा के क्षेत्र में एक तरफ से जमुना नदी से घिरा है दूसरी तरफ से टोंस नदी से घिरा है। बुन्देलखण्ड और मध्य प्रदेश के नजदीक मेरा क्षेत्र है यहां बाढ़ आई हुई है। श्रीमन् 1978, 82 और 97 में इसी बाढ़ के पानी की वजह से मेरे विधान सभा क्षेत्र का 30 प्रतिशत हिस्सा जलमग्न हो गया था उस समय भी बाढ़ पीड़ित लोगों को मुआवजे की धनराशि नहीं दी गई थी। इस समय भी मैं मौके पर देखने गया था पूरा गांव बाढ़ से जलमग्न है। जिन सड़कों पर हम गाड़ी से भ्रमण करते थे, उस क्षेत्र में उन सड़कों पर हमें नाव से भ्रमण करना पड़ा। जिस समय मैं भ्रमण अपने क्षेत्र का कर रहा था उस समय मध्यप्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी भ्रमण अपने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का कर रहे थे क्योंकि मेरा क्षेत्र मध्यप्रदेश से लगा हुआ है इसलिए मैंने उनको भ्रमण करते हुए देखा, लेकिन मेरे क्षेत्र में न तो शासन का कोई और न ही सत्ता में जो लोग बैठे हैं उन्होंने वहां जाकर देखा कि क्या नुकसान हुआ है। एस0 डी0 एम0 और डी0 एम0 से कहा जाता है तो उनकी प्रतिबन्धित सीमा है जिस सीमा तक वह कर सकते हैं। दो दर्जन गांव के घर गिर गए हैं उनको 800 रुपया मुआवजा दिया जा रहा है, जिससे कुछ नहीं हो सकता है। इंदिरा आवास बनाने में भी 20 हजार दिये जाते हैं तो कम से कम जिन लोगों के पूरे आवास बाढ़ में गिर गए हैं उन परिवारों को इंदिरा आवास योजना लागू करके उनको इंदिरा आवास आवंटित किए जायें। इसी तरह से मान्यवर, खेतों की फसलों का नुकसान हुआ है मेरे क्षेत्र में कई नाले हैं। जो जमुना और टोंस नदी से बहकर पूरे गांव की फसल को नष्ट करते हैं। लगभग 50 प्रतिशत खेतों को नुकसान पहुंचा है। बताया गया है कि एस0डी0एम0 और डी0एम0 से रिपोर्ट आएगी तब शासन से आदमी जाएगा तब मुआवजा दिया जाएगा। परिवार भुखमरी की कगार पर है खाने को कुछ नहीं बचा है। हम समाजसेवी संस्थाओं के शासन प्रशासन से मिले...

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गई है।

श्री उदयभान करवरिया-

जो राहत उनके द्वारा दी जा रही है वह ऊंट के मुंह में जीरा की तरह है। श्रीमन्, कम से कम उस क्षेत्र के जो गरीब लोग हैं। गिट्टी और पत्थर तोड़ने का काम करते हैं। जो गल्ला उन्होंने आगे के लिये रखा था वह खत्म हो गया है.....

श्री अध्यक्ष-

बात आ गई है।

श्री उदयभान करवरिया-

इस प्रकार की वहां स्थिति है मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक हजार इन्दिरा आवास आवंटित किये जायें और जो नाले गंगा नदी और टोंस नदी से गिरते हैं उसमें डैम बनाया जाए। टोंस नदी के किनारे जो गांव पड़ते हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर, जो मकान गिरे हैं बाढ़ पीड़ित है उनको माननीय मुख्य मंत्री जी अपने विवेकाधीन कोष से राहत देने के लिये घोषणा करेंगे।

मुख्य मंत्री (मुलायम सिंह यादव)-

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने बाढ़ के संबंध में विचार रखे इसको हम गम्भीरता से मानते हैं, बाढ़ से तन और धन का जो नुकसान हुआ है, मकान भी गिरे हैं फसल भी बरबाद हुई है, माननीय हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव की बात से मैं सहमत हूं बाढ़ में पानी ही पानी दिखाई देता है वर्षा का प्रभाव व्यापक हो गया है, बाढ़ से प्रभावित बहुत सारे जिले हैं जिनकी धीरे-धीरे रिपोर्ट आयेगा, जल भराव के कारण पूरी फसल नष्ट हो गई है, मकान गिर गये हैं। माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं उनसे सहमत हूं। यह मामला बहुत गम्भीर है। मिट्टी के कटान की गम्भीर समस्या है, करोड़ों नहीं, अरबों का नुकसान हो रहा हैं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी के बीच जो नदी जा रही है, उससे बहुत कटाव हो रहा हैं मैं आपको बताना चाहता हूं, आप संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं, शिवपाल सिंह ने गाजीपुर और बलिया का दौरा किया है। आजमगढ़ का जहां तक सवाल है, वहां गम्भीर बाढ़ आयी थी, मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहता, स्थिति गम्भीर थी और तत्कालीन सरकार की लापरवाही की वजह से बंधा कटा था। छतौनी के इधर-उधर कटता था लेकिन अब तो आमतौर पर कटने लगा है। पता नहीं यह कैसे कटने लगा है। यह सोच का सवाल है। बाद में मैं बता भी दूंगा। लेकिन यह बात सही है, प्रगति जितनी उत्तर प्रदेश की होनी चाहिए, उतनी नहीं है। अन्य प्रान्तों को देखें, बिहार को देखें, वह आगे है और उत्तर प्रदेश पीछे है, इस पर भी विचार करना पड़ेगा। अफसोस है कि बाढ़ और सूखा के बारे में जो बैठक मई और अप्रैल में होनी चाहिए, वह नहीं होती थी। मैंने अपने अधिकारियों से इसके सम्बन्ध में तत्काल सवाल किया कि बाढ़ और सूखा के सम्बन्ध में कब बैठकें होती थी, इसकी चिन्ता ही नहीं थी। इसकी बैठक अप्रैल-मई में होनी चाहिए। अब इसकी बैठक अप्रैल-मई में हुआ करेगी और हर जिलेवार इसकी तैयारी की जायेगी लेकिन जो पिछली सरकार थी उसने कुछ सवाल उठाये। यह राजनीतिक सवाल नहीं है, यद दैवी आपदा है। दैवी आपदा कह कर कोई भी सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती । दैवी आपदा का सामना करना और जनता को राहत देना यह सरकार की जिम्मेदारी हैं यह सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभायेगी और पीड़ित व्यक्तियों की ज्यादा से ज्यादा मदद करेगी। राहत कार्य अब शुरू हो रहा है, जब हमारी सरकार बनी है। हम तो सहमत हैं कि बाढ़ गम्भीर है और दैवी आपदा आयी है। इस पर हमने कई फैसले लिये हैं। पहले कोई जानवर मरता था तो अनिश्चित था कि कितनी धनराशि दी जाये। अब यह व्यवस्था कर दी गयी है कि कोई पशु मरेगा तो उसकी पूरी कीमत दी जायेगी और अगर जानवर का बच्चा मरता है तो उसकी आधी कीमत दी जायेगी। इसी तरह, अध्यक्ष महोदय, यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि ....

2001 से लेकर अभी तक जो जानवर इस तरह से मरे हैं और उनको कोई राहत नहीं मिली उन्हें भी अब राहत दी जायेगी । इसमें तेजी से काम हो रहा है। बहुत तेजी से इस दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि सरकार कब बनी और कब बहुमत सिद्ध किया । 8 तारीख को बहुमत सिद्ध किया और आज 16 तारीख है। इस सरकार को बने 8 दिन हो गये हैं। हमें 8 दिन काम करने का मौका मिला। हमें खुशी है कि इन 8 दिनों में हमने काफी राहत का कार्य शुरु किया । मैं अभी भी इन आंकड़ों से संतुष्ट नहीं हूं। यह ठीक है कि 3-4 करोड़ की राहत दी गयी है। श्री शिवपाल जी बाढ़ के कुछ जिलों का दौरा कर आये हैं। जब गोरखपुर का बंधा कटा था तो उसमें कई जिले प्रभावित हुये। उस समय राहत में स्वयं सेवी संस्थायें सरकार से आगे निकल गयी। सरकार पीछे रह गयी। आज विरोधी दल जिनकी आलोचना करते हैं। सहारा उस समय मदद करने में आगे था। फिर सरकार लिखने लगी कि राहत सामग्री के पैकेट सरकार ने बंटवाये हैं। फिर हमने लिखवाया कि यह सहारा ने बंटवाये हैं। अब बाढ़ केवल पूरब में नहीं है बरसात का प्रभाव व्यापक हो गया है। हम जल्दी-जल्दी प्रत्येक जिलों से सूचनायें मंगवा रहे हैं। हम सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि सरकार की तरफ से कोई लापरवाही नहीं होगी। अगर कोई लापरवाही करता है तो माननीय सदस्य उसके बारे में लिखकर दें या फैक्स कर दें तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जायेगी। हम कह सकते हैं कि 1995 के बाद जितनी बाढ़े आयीं उनमें दी गयी राहतों की तुलना में हम कई गुना राहत दें।

मैं माननीय नेता विरोधी दल से कहूंगा कि पीलीभीत की समस्या गम्भीर हो गयी है इसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार में क्षमता नहीं है। हम इसके लिये केन्द्र सरकार से अनुरोध करेंगे और आप भी अपनी केन्द्र सरकार से अनुरोध करें कि वह इसमें हमें सहायता दे तो लखीमपुर का वह इलाका जमीन के कटाव से बच सकता है। मैं लम्बा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता हूं। दैवीय आपदा है। फिर भी हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं हटेंगे और इसे गम्भीरता से लेकर हर तरह से सहायता करेंगे। जिनका इसमें निधन हुआ है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। जो बाढ़ में मकान से दबकर मर गये हैं, बीमार हैं दवाओं के लिये इंतजाम नहीं है हमने इसका प्रबन्ध कर दिया है। सीधे आदेश जिलों में दिये गये हैं कि अब पैसा सीधे जिलाधिकारी के पास जायेगा। चाहे दवाई के लिये, चाहे तेल के लिये या फिर चाहे खाने के लिये यह पैसा सीधे-सीधे भेजा जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें आपके सभी दलों के विधायक हैं, सांसद हैं, आपकी पार्टी के पदाधिकारी हैं वह सब मिलकरके शिवपाल सिंह जी गये थे तो हमने यह खबर करा दी थी कि आप सभी दलों के साथियों से मिलकर के काम कीजियेगा। खबर देर से पहुंची थी लेकिन फिर भी कुछ दलों के लोग आये और सभी दलों की राय से जिले स्तर पर राहत का कार्य किया गया। सीधे-सीधे पैसा भेजा गया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि बाढ़ की जो विभिषिका चल रही है उससे आधा उत्तर प्रदेश ग्रस्त है और माननीय मुख्यमंत्री ने कोई स्पष्ट राहत की घोषणा नहीं की है ...

(व्यवधान)

इस सरकार ने सहारा परिवार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि बाढ़ पीड़ित ऐसे परिवार जिनको नुकसान हुआ है तो ऐसे प्रत्येक परिवार को सहायता राशि के रूप में पांच लाख रुपया दिया जाय। जिन लोगों के घर बाढ़ में गिर गये हैं उनको सहायता राशि के रूप में बीस हजार रुपया दिया जाय। जहां पर बाढ़ की विभिषिका हो रही है तो वहां के बच्चों की फीस को माफ किया जाय। किसानों के लगान को माफ किया जाय। जो लोग बेघर हैं उनके लिये भोजन की व्यवस्था की जाय।

(व्यवधान)

मान्यवर, चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की है इसलिये बहुजन समाज पार्टी सरकार के इस नकारात्मक रवैये को देखते हुये इस सदन का बहिष्कार करती है।

(शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया)

श्री अध्यक्ष-

इतनी देर से यह सदन के बहिर्गमन की भूमिका ही चल रही थी।

श्री मुलायम सिंह यादव-

हमारी पूरी बात सुनने के बाद बहिष्कार करते। दोबारा सवाल किया गया था। हमने आंकड़े दिये थे और यह कहा था कि इतने करोड़ रुपये दिये गये हैं लेकिन मैं संतुष्ट अभी नहीं हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि बीस किलो गेहूं प्रत्येक परिवार को दिया जा रहा है, तेल भी दिया जा रहा है, माचिस, मोमबत्ती, सत्तू, पांच किलो चना भी दिया जा रहा है, चारा भी दिया जा रहा है, पैसा, इंजेक्शन यह सब दिया जा रहा है। जिलाधिकारी को पावर दे दी गयी है। वहां सीधे-सीधे पैसा भेजा जा रहा है। अगर विभाग को भेजते तो देर लगती इसलिये सीधा उनको पावर दे दी गयी है। मान्यवर, मैंने पहले ही कहा था, कि जो कुछ भी राहत के रूप में किया गया है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। आप तो वही करते थे जैसे मुन्शी रख देते थे और वह थाने की रिपोर्ट कही पढ़ देते थे, हमने और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने सब कुछ किया है, सब मेहनत कर रहे हैं, हमारा पूरा सचिवालय लगा हुआ है बाढ़ राहत कार्यों में, राजस्व विभाग लगा हुआ है, अधिकारी लगे हैं, लेकिन तब भी जो कुछ भी किया गया है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। यहां तक हमने कहा कि जो अभी तक बांटा गया है उससे हम ज्यादा दे रहे हैं और देंगे, सन् 2001 से देंगे। 2001 में जो जानवर मरे, जो जान-माल की हानि हुयी, उनको अभी तक नहीं दिया गया है पिछली सरकार द्वारा, यह बहस किस बात पर कर रहे हैं हमें तो लगता है कि यह अपनी ही निकम्मी सरकार के निकम्मेपन की चर्चा कर रहे हैं।

नेता, विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)-

मान्यवर, मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं कि यहां पर राहत कार्यों के लिये वर्ष भर धन जमा रहता है, लेकिन वह पैसा खर्च नहीं किया जा सकता है, इसलिये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसमें अगर आप भारत सरकार से कोई प्रावधान कराना चाहते हैं तो करें, लेकिन जब तक बाढ़ ग्रस्त घोषित नहीं होगा तब तक उसमें पैसा खर्च नहीं हो सकता, सूखा पड़ने

वाला है लेकिन उससे राहत की व्यवस्था तब तक नहीं की जा सकती है जब तक सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया जाता है। जान-माल की हिफाजत हो सकती है, राहत दी जा सकती है, तब जब इससे निपटने के लिये पहले से ही ऐक्शन ले लें, तो उसका ज्यादा लाभ मिलेगा।

श्री अध्यक्ष-

यही बात तो मुख्यमंत्री जी ने कही थी कि अप्रैल-मई में उसकी बैठक होनी चाहिये, और वह अब हुआ भी करेगी, यह बात क्या आपने नहीं सुनी ? जो सही बात है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री लाल जी टण्डन-

मान्यवर, मैं स्वीकार कर रहा हूं, मैं सरकार को कोई दोष नहीं दे रहा हूं, मैं यह कह रहा हूं कि मैंने पिछली सरकार में दो-दो बार बैठकें इस संबंध में कराई, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि मान्यवर, हम तब तक उस पर पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, जब तक वह घोषित नहीं होगा। हमने बहुत पहले ही पत्र लिख कर भेजा था कि बाढ़ आने वाली है और उससे निपटने के लिये समुचित प्रबन्ध किया जाय तो उन्होंने कहा कि साहब हम पैसा दे नहीं सकते हैं क्योंकि जब तक वह घोषित नहीं होगा तब तक हम नहीं दे सकते। मैं दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, इसमें जितना भी हो रहा है वही बहुत है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इसमें जो सुझाव आये हैं, उन पर अमल करें।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मरने पर केवल 10 हजार रुपये दिया जा रहा है और मकान पर केवल आठ सौ रुपये दिये जा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप लोग शान्त रहें।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी-

जो मानक राहत के लिये आपने घोषित किये, उसके लिये मैं आपको माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से बधाई दे रहा हूं। मान्यवर, जो मनुष्य मेरे विधान सभा क्षेत्र में मरे हैं उनको 10 हजार रुपया मरने पर और मकान के लिये 800 रुपया दिया जा रहा है।

(अनेक सदस्यों द्वारा बढ़ गया है, बढ़ गया है बोलने पर)

जो बढ़ा दिया गया है उसकी सूचना जिलों में नहीं पहुंची होगी। इसके चलते इस पर पुनर्विचार कर लें। केवल 800 रुपया मकान के लिये दिया जा रहा है और जो व्यक्ति मर जाता है उसके लिये 10 हजार रुपया दिया जा रहा है। मान्यवर, अभी तक जो स्थिति है तो उस पर विचार कर लें। 800 रुपये में कुछ नहीं हो सकता है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को और सदन को बताना चाहता हूं कि यह नियम है बाढ़ आते ही राहत कार्य बांटना चाहिये जिलाधिकारी को, कोई घोषणा की इसमें आवश्यकता नहीं है और सूखा पड़ता है तो घोषणा करनी पड़ती है। हमारे सामने 20 जिले आये हैं जैसा माननीय सदस्य ने कहा है,

20 से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन बहुत जिले ऐसे हैं जहां पानी भरा है, जहां जानवर, आदमियों की जानें गयी हैं, बच्चों की जानें गयी हैं। लेकिन अभी इसमें व्यवस्था यह है कि बाढ़ की समस्या जैसे बाढ़ आये तुरन्त राहत कार्य शुरू कर दिया जाय यह नियम है। जैसा त्रिपाठी जी ने कहा है तो उसमें विचार करेगें, आर्थिक स्थिति भले ही खराब हो, न हो लेकिन फिर भी हमारी कोशिश यही है कि जो हमने वायदा किया है, जो अब तक राहत दी जाती थी, 800 रुपया थी जिलाधिकारी की रिपोर्ट आ रही है अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार जो आपने कहा है उनको दी जाने वाली राहत पर विचार करेंगे और ज्यादा से ज्यादा जो लोग मरे हैं जानवर के अलावा इंसान मरे हैं उनको ज्यादा ही देने की कोशिश करेंगे। मकानों के बारे में सहायता दी जायेगी यह है लेकिन फिर भी हम संतुष्ट नहीं हैं। हम बातचीत करके कोशिश करेंगे कि मकानों की मरम्मत के लिये, जो गिरे हैं उनके लिये ज्यादा से ज्यादा देने का हमारा प्रयास हो।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, माननीय टण्डन जी से कहें कि वे केन्द्र से कितनी सहायता दिला रहे हैं। यह जो बाढ़ आयी है इसमें वहां से सहायता मिलनी चाहिये उत्तर प्रदेश अपने संसाधन से इसका सामना नहीं कर सकता है। इसलिये आवश्यक है कि केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश की बाढ़ को मद्देनजर रखते हुये एक आर्थिक पैकेज दे। टण्डन जी नेता सदन से कहने के बजाय माननीय प्रधानमंत्री जी से कह दें कि कम से कम उतना पैसा तो उत्तर प्रदेश को दे दें जितना आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा में दे दिया करते हैं डर के मारे । उतना भी दे दें तो बहुत कुछ कल्याण हो सकता है।

श्री अध्यक्ष-

नियम-56 की सूचना के समर्थन में माननीय सदस्यों को और सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के बाद मैं इसे अग्राह्य करता हूं। दूसरी सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया। जो विषय है गोरखपुर मेडिकल कालेज का उसमें जिस प्रकार से एन्सीफ्लाइटिस के मरीज आ रहे हैं और इलाज के अभाव में मर रहे हैं वह एक गम्भीर बात है। मान्यवर, बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज में अब तक 84 लोग मर चुके हैं इसमें कुशीनगर से 118 मरीज आये जिसमें 17 मरे, महराजगंज से 98 मरीज आये जिसमें 14 मरे, गोरखपुर से 87 मरीज़ आये जिसमें 17 मरे, देवरिया से 37 मरीज आये जिसमें 10 मरे, बस्ती से 7 मरीज आये जिसमें 1 मरा, सिद्धार्थनगर से 23 मरीज आये जिसमें 5 मरे, बिहार से 43 मरीज आये जिसमें 5 मरे, संत कबीर नगर से 24 मरीज आये जिसमें से 3 मरे, बलरामपुर से 6 मरीज आये जिसमें 1 मरा, मऊ से दो मरीज आये और दोनों मर गये। नेपाल से भी मरीज आ रहे हैं। मान्यवर, नेपाल से बिहार से मरीज आकर गोरखपुर में मर रहे हैं। कुल मिलाकर 450 मरीज पिछले 15 दिनों में आ चुके हैं और 84 मौतें हो चुकी हैं। चौरासी जो मर गये, शायद वह

सौभाग्यशाली रहे होंगे क्योंकि जो बच गये, उनकी स्थिति तो मरने से भी ज्यादा खराब होती है। जैसे अंधापन, दिमाग का विकृत होना, झटके आना, शरीर का अकड़ जाना, बहरा हो जाना, यह सब सहने के लिये जिन्दगी भर के लिये वह मजबूर होते हैं। दुख की बात यह है कि बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज में यह मरीज सुविधाओं के अभाव में मर रहे हैं आज वहां आक्सीजन की सुविधा नहीं हैं मरीज जब बलगम पैदा करता है और वह उसको निकाल नहीं पाता तो उसको निकालने में एक सेक्शन मशीन होती है, उसकी सुविधा भी वहां उपलब्ध नहीं है। इसी तरह नकली सांस दिलाने के लिये वेन्टीलेटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। सेन्ट्रल सेक्शन मशीन सिर्फ 10 लाख रुपये में और वेन्टीलेटर 14 लाख रुपये में आता है, वह भी वहां उपलब्ध नहीं है। इसी तरह गोरखपुर मेडिकल कालेज में जो दिमाग का पानी निकालते हैं, उसे लखनऊ और पुणे जांच के लिये भेजा जाता है, लेकिन उसकी भी ठीक से सुविधा न होने के कारण देर हो जाती है और तब तक उसके वीषाणु मर जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, इससे यह भी पता नहीं लग पाता कि मरीज की मौतें कैसे हुई। जो मरीज बच जाते हैं, जीने के बाद जब वह अपने घरों को पहुंचते हैं तो उनकी देखरेख की सुविधा भी लोगों के पास नहीं होती दुनिया में तमाम ऐसे देश थे जिनके यहां यह बीमारी थी जैसे चीन, जापान, मलेशिया, जावा और सुमात्रा आदि, इन देशों में यह बीमारी टीकाकरण के माध्यम से समाप्त की जा चुकी है। इसी तरह हमारे देश में आन्ध्र प्रदेश में बहुत लोग इसके मरीज होते थे, वहां भी टीका लगवाकर इसको समाप्त कर दिया गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि वह ऐसे विषयों पर राजनीति नहीं करते हैं बल्कि राजनीति से ऊपर उठकर सोचते हैं, आप वहां गये थे, यह सच्चाई है, वहां सहारा ने योगदान किया था, इसके अलावा सैकड़ों संस्थाओं ने भी अपना अविस्मरणीय योगदान किया था, मैं उसके लिये आभार प्रकट करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि यह जो इन्सेफ्लाइटिस के मरीज हैं, उनको भविष्य में हर तरह की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि गोरखपुर में इन्सेफ्लाइटिस रिसर्च सेन्टर की मांग बहुत पहले से की जा रही है, यह केवल गोरखपुर की ही मांग नहीं, बल्कि पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की मांग है। मैं आपसे केवल तीन मांग रखना चाहता हूं, एक तो वहां वायरल रिसर्च सेन्टर की स्थापना हो, दूसरे पूरे उत्तर प्रदेश में इन्सेफ्लाइटिस के टीके लगवाने की योजना घोषित करें और तीसरा कि इस विषय पर इस सदन में चर्चा कराई जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां (मंत्री)-

मान्यवर, मामला गम्भीर भी है, मानवीय भी है और डा0 साहब के एक-एक शब्द से मुझे इत्तिफाक है। मैं डा0 साहब को बताना चाहूंगा कि इस सरकार ने गरीब मरीजों के लिये अस्पतालों में 8 रुपये का पर्चा घटाकर 1 रुपया करके अपनी मानसिकता, अपनी राजनैतिक मानसिकता और राजनैतिक धर्म को पूरे प्रदेश में साबित करने की कोशिश की है। मस्तिष्क ज्वर से कई सालों से मौतें हो रही हैं इसके लिये प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा/तैयारी होनी चाहिए। यह बिल्कुल सही है कि अस्पतालों में कमियां हैं, यह आज की नहीं हैं, बल्कि बहुत पहले की हैं और उसमें भी कुछ दिन ऐसे रहे हैं, जिसमें प्राथमिकता पर किसान, मरीज, मजदूर और बीमार नहीं था, बल्कि प्राथमिकतायें कुछ और थीं। इस एक हफ्ते में उन सारी प्राथमिकताओं पर अमल कर पाना सम्भव नहीं था, लेकिन इस प्रश्न पर सरकार संवेदनशील है और इस सिलसिले में जो कमियां हैं, उन पर सरकार की नजर है।

इन सारी बातों की जांच के साथ, मैं तो यह समझता हूं कि इस पर प्रदेश स्तर पर एक कार्य-योजना होनी चाहिए, कोई समिति गठित हो सकती हो सरकार इस पर भी विचार करेगी। माननीय नेता सदन बैठे हैं, नेता जी ने आश्वासन दिया है कि इस पर कार्ययोजना तैयार करेंगे, जिनका कि आपने जिक्र किया है। बहुत सी मशीनें ऐसी हैं जो कि मौजूद हैं लेकिन उनकी देखरेख नहीं होने की वजह से वह खराब हो गयी हैं। बहुत सी मशीनें ऐसी हैं जिनका वार्डब्वाय भी इस्तेमाल कर सकता है लेकिन बहुत सी मशीनें ऐसी हैं जिनके लिये स्पेशिलिस्ट चाहिए और बहुत से अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं। बहुत से अस्पताल ऐसे हैं जहां इन्टेशिव केयर यूनिट आज भी नहीं है यह सही है कि झोला छाप डाक्टर पकड़े जाते हैं, जेल भेजे जाते हैं लेकिन हमारी प्राथमिक सेवाओं का क्या हाल है। इस जर्जर व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिये थोड़ा सा समय जरूर चाहिए, सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रही है बल्कि सरकार यह बता रही है कि गुजरे हुए दिनों में जो कुछ हुआ वह अमानवीय हुआ और वह अब नहीं होगा। आने वाले दिनों में यदि किसी व्यक्ति की इसलिये जान चली जाय कि उसका इलाज न हो सके, उसे दवा न मिल सके तो फिर आजादी का कोई मतलब नहीं रह जाता। बच्चे को बुखार आया और अस्पताल जाने की नौबत ही नहीं आयी, मां के हाथों में दम तोड़ दिया, इस सिलसिले में सरकार पूरी तरह से कार्य करेगी और ऐसे मरीजों के लिये दवा, इलाज और ऐसी मशीनें जैसे सेक्शन और दूसरी मशीनें जिनका आपने जिक्र किया है उन सारी मशीनों की जांच की जायेगी और यदि कोई कमी होगी तो उसे दूर किया जायेगा और यदि किसी को दण्डित करने की जरूरत होगी तो उसे दण्डित भी किया जायेगा।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय नेता, मोहम्मद आजम खां ने निःशुल्क इलाज के बारे में बताया, उन्होंने केवल एक बिन्दु की ही चर्चा की है और शेष दो बिन्दु वायरल रिसर्च सेन्टर की स्थापना तथा टीकाकरण को अधूरा छोड़ दिया है।

श्री अध्यक्ष-

आपने जो सुझाव दिये हैं उन पर विचार करने की बात इन्होंने कह दी है। डा0 अग्रवाल एवं सरकार की ओर से मोहम्मद आजम खां को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं, अग्राह्य करता हूं। तीसरी सूचना श्री इन्द्रजीत सरोज की है इनकी सूचना में जिस व्यक्ति की हत्या की बात है वह चौथी सूचना में भी है। जैसा कि आपको मालूम है कि दो सूचनाओं को हम सुनते हैं और शेष पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हैं लेकिन आज थोड़ा सा समय भी है मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात संक्षेप में कह दें, बाद में मैं ध्यान आकृष्ट कर दूंगा।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, आपने हमें बोलने का समय दिया मैं आपका आभारी हूं । जब से वर्तमान सरकार का गठन हुआ है तब से पूरे उत्तर प्रदेश में [×××] कायम हो गया है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(शोर/व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया बैठ जाइये।

श्री राम लाल अकेला-

मान्यवर, जो नियुक्तियां हुई हैं उसकी पूरी जांच करायी जाए।

श्री नारद राय-

[x x x]

श्री अध्यक्ष-

कृपया बैठिये। लिखा नहीं जा रहा है।

श्री अजीम भाई-

दो-दो लाख रुपया दलितों से रिश्वत ली है चपरासियों की भर्ती में। इसकी जांच करायी जाए। ये पूरे समाज कल्याण विभाग को खा गये।

श्री अध्यक्ष-

कृपया आसन ग्रहण करिये। शासन की ओर से उत्तर देने के लिये सक्षम मंत्री यहां बैठे हुये हैं। आप सभी माननीय सदस्यों को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुये हैं, उनके सहयोगी मंत्री बैठे हुये हैं, वह उत्तर देंगे। लेकिन आप क्यों व्यवधान कर रहे हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, शायद आप सुन नहीं पाये होंगे जिस शब्द का इस्तेमाल किया है, मैं वह शब्द नहीं कहूंगा।

श्री अध्यक्ष-

मैं वह शब्द निकाल दूंगा।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मेरे पास सारे तथ्य हैं, कोई बचेगा नहीं। अध्यक्ष महोदय, बहस में पड़ना नहीं चाहता। मैं लिखकर दे रहा हूं हमारे साथियों की जांच करायी जाए और आप लोग भी लिखकर दीजिये।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर/व्यवधान)

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

[× × ×]

श्री अध्यक्ष-

यह लिखा नहीं जा रहा है, कृपया स्थान ग्रहण करिये। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है और मैं बार-बार अनुरोध करता हूं कि इस सदन के अन्दर जब गम्भीर विचार-विमर्श होता है तो बड़ी संयत और शिष्ट भाषा का प्रयोग करें। आलोचना के लिये हिन्दी भाषा में एक से एक अच्छे शब्द हैं,

[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उनका प्रयोग करके आलोचना कर सकते हैं। अगर हम लोग अपने शब्दों पर ध्यान देंगे तो यह स्थिति नहीं आयेगी।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, इधर का सदस्य जब कोई बात कहता है तो उधर हल्ला मचना शुरु हो जाता है।

मान्यवर, हमारे वरिष्ठ साथी लालजी वर्मा को माननीय आजम खां ने इसी सदन में 8 तारीख को [xxx] कहा है, क्या यह संसदीय है ?

श्री अध्यक्ष-

मैंने उस दिन कहा था कि यह कार्यवाही से निकाल दूंगा।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

आप लोग अपने गिरेबान में झांक कर देखें। मैंने उस दिन इन शब्दों को सुना था और सारे लोगों ने सुना था। मैं अपनी बात को शालीनतापूर्वक कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश का जनमानस भयभीत है माफिया अपराधी खुले आम लोगों को लूट रहे हैं और प्रदेश में [× × ×] कायम है। उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिनका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है उन पर मुकदमें कायम किये जा रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। किसी भी सदस्य को किसी दूसरे सदस्य पर आक्षेप लगाने का अधिकार नहीं है कि वह अनायास कोई आक्षेप लगा दे। माननीय इन्द्रजीत सरोज यदि किसी कारण से अपने किसी साथी को कुछ कहना चाहते हैं, गाली देना चाहते हैं तो उसके लिये सदन उपयुक्त स्थान नहीं है। आक्षेप लगाना है तो पहले उसकी लिखित सूचना देंगे और उसी आधार पर आक्षेप लगा सकते हैं। किसी दूसरे सदस्य का नाम लेकर अपने किसी साथी को [× × ×] कहना चाहते हैं, श्री लालजी वर्मा को [xxx] कहना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं तो मान्यवर, नियमों में व्यवस्था है। वह लिखित सूचना दे दें और प्रमाण भी दे दें। माननीय आजम खां का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

यह ठीक नहीं। मैंने पहले भी उस दिन कह दिया था कि जो शब्द अशिष्ट होंगे उनको निकाल दिया जायेगा। उस दिन यह व्यवस्था आ गयी थी। अब सदन की कार्यवाही शांतिपूर्वक चलने दीजिये।

श्री लालजी वर्मा-

जो जैसे रहता है वैसे ही उसको दूसरे लोग दिखायी देते हैं।

[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अम्बिका चौधरी-

[* * *]

श्री अध्यक्ष-

यह अच्छी बात नहीं है। यह सब कार्यवाही का भाग नहीं होगा।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की बड़े पैमाने पर हत्यायें हो रही हैं। जिन पर आज तक कोई मुकदमें नहीं थे उनको जेल भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश का आम जन मानस चाहे वह व्यापारी हो या चाहे छात्र हो या किसान हो या चाहे झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हों सब लोग पूरी तरह से आतंकित हैं। मेरे जनपद कौशाम्बी में मेरे क्षेत्र मंझनपुर में 14 तारीख को श्री लालमणि साहू जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे जिनके खिलाफ किसी थाने में कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है और न उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है। उनकी हत्या की गयी।

अकेला जी नेता सदन मंत्री नहीं बनायेंगे।

श्री राम लाल अकेला-

[× × ×]

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

यह लिखा नहीं जाएगा।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

सरसवां में लालमणि साहू जो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता था उसकी सरेआम दिन में हत्या कर दी जाती है और एक गोली नहीं कई-कई गोलियां मारी गई। वहां चार घंटे तक पुलिस नहीं पहुंची। मुझे जब सूचना मिली तब सबसे पहले मैंने आई0 जी0 जोन से बात की आई0 जी0 ने एस0 पी0 से बात की, एस0 पी0 ने सी0 ओ0 से बात की सी0 ओ0 ने एस0 ओ0 से बात की तब जाकर साढ़े नौ बजे पुलिस पहुंचती है। यह सरकार की संवेदनशीलता है यह तो संवेदनशून्यता है।

श्री राम करन आर्य-

आपके राज्य में सात-सात मुसलमान मारे गये हैं।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

यह दिन की घटना है इसको सारे लोगों ने देखा है। पूरे गांव के लोगों ने देखा है लेकिन आबादी वाले गांव में एक भी आदमी गवाही देने के लिये तैयार नहीं है। आज तक अभियुक्तों की

[* * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे पूरे क्षेत्र में भय व्याप्त है एक दूसरी घटना का मैंने उल्लेख किया अंधावा में 7 तारीख को बड़े पैमाने पर बन्दूकों और रायफलों से लैस होकर लोगों को धमकाने का काम किया गया। वहां पर अब तक कोई भी आदमी नहीं रह गया है पूरे क्षेत्र में आतंक और भय व्याप्त है पुलिस लोगों की मदद नहीं कर रही है। आप सरकार को निर्देश दें कि उस गांव में पी0 ए0 सी0 लगाई जाए ताकि जो मजदूर तबके के लोग हैं। वह वहां रह सकें और अपना व अपने बच्चों का पेट पालन कर सके। यह लोक महत्व की तात्कालिक घटना है इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाए।

श्री अध्यक्ष-

मौर्य जी, आपने भी अपनी सूचना में ऐसी घटना का उल्लेख किया है दोनों सूचनाएं एक ही विषय से संबंधित हैं इसलिये आप भी अपनी बात रख लें ताकि दोनों सूचनाओं को एक साथ निस्तारित कर दें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, नियमावली में व्यवस्था है कि नियम 56 में कोई व्यक्ति दो सूचनाएं एक साथ नहीं दे सकता हैं। एक दिन में एक ही प्रस्ताव पर कार्य स्थगन की सूचना दी जा सकती है। अभी मौर्य जी एक सूचना पर अपने विचार रखे इसलिये अब दूसरी सूचना पर उनको कैसे अवसर दिया जा सकता है?

श्री अध्यक्ष-

आप जब विपक्ष में थे तो 10-10 सूचनाएं तक दे देते थे। अभी केवल ग्राह्यता पर सुना जा रहा है। सूचनाएं स्वीकार नहीं हुई हैं।

लेकिन आपको स्मरण होगा कि आप जब दाहिनी ओर बैठते थे तो एक दिन में 10 सूचनाओं को सुनने के लिये आग्रह करते थे।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, एक निवेदन करना चाहता हूं और दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि सदन आपके निर्देशों से और विधान सभा की कार्य तथा संचालन नियमावली के अनुसार चलेगा। नियमावली में व्यवस्था है कि अगर माननीय अध्यक्ष जी खड़े हो जाते हैं तो सभी सदस्यों को बैठ जाना चाहिये। लेकिन मान्यवर, आप आज खड़े हुये फिर भी 4-5 सदस्यों को जो कि खड़े थे आपके अनुरोध के बाद बैठ जाना चाहिये था लेकिन वे बैठे नहीं। हमारे सदस्य इन्द्रजीत सरोज खड़े थे हमने कहा कि बैठ जाइये तो वे बैठ गये। लेकिन आज जिस तरह से मान्यवर, आपके खड़े होने के बाद भी माननीय सदस्य बैठे नहीं तो फिर अन्त में मजबूरन आप बैठ गये। यह लोग नहीं बैठे। कोई आक्रोश व्यक्त कर रहे हों वह ठीक है लेकिन कुछ तो नियम हैं, उनका पालन होना चाहिये।

श्री कमाल यूसुफ मलिक-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

एक व्यवस्था के प्रश्न पर व्यवस्था नहीं होती है। आप कृपया बैठ जाए।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, आपके सम्मान और पीठ के सम्मान के लिये कह रहा हूं कि जो दिशा निर्देश और नियमावली हैं उनका जरूर पालन होना चाहिये। आज जिस तरह से यह कर रहे थे उसकी निन्दा करता हूं। आपके निर्देश के बाद भी यह लोग नहीं बैठे। आपको सम्मान देने के लिये जितना सहयोग देना पड़ेगा हम देंगे। हम उस पीठ का सम्मान करते हैं।

(किसी सदस्य के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

केवल बोलने के लिये व्यवस्था का प्रश्न नहीं होगा। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। नियमों में भी इस प्रकार की अपेक्षा की गयी है कि अध्यक्ष पीठ पर अध्यक्ष या कोई अन्य व्यक्ति पीठासीन है यदि वह खड़ा होता है तो माननीय सदस्यों को बैठ जाना चाहिये। इसका दुःख है कि इसका अनुपालन नहीं किया गया, मेरे खड़े होने के बाद भी। मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। मैं हूं या कोई भी हो इस पीठ पर, इस बात की पुनरावृत्ति न हो मैं ऐसी आशा करता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था जर्जर हो चुकी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कृपया शान्त रहें। अभी तक तो पूरी कार्य सूची खत्म हो गयी होती।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में भय और आतंक का वातावरण है। माननीय नेता सदन ने इसी सदन में कहा था कि हम प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करेंगे लेकिन आज पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और माननीय विधायकों के साथ उत्पीड़न की कार्यवाही हो रही है। पूरे प्रदेश में जो जंगल राज है वह आज इस सदन के अन्दर भी देखने को मिल रही है। कानून के रखवाले आज कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यही कारण है कि आज बहुजन समाज पार्टी के माननीय विधायक अयोध्या प्रसाद पाल जिन पर 6 तारीख को सरकार के दबाव में न आने के कारण मुकदमें दर्ज करा दिये गये। अपराध संख्या 132/3, मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज कराया गया जिसका माननीय उच्च न्यायालय ने एक साल पहले ही निस्तारण कर दिया है। मान्यवर, इसी तरह से हमारे दूसरे फतेहपुर के विधायक आनन्द प्रकाश लोधी के खिलाफ 6 तारीख को, जिस दिन अयोध्या प्रसाद पाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया उसी दिन आनन्द प्रकाश के खिलाफ दो-दो मुकदमें दर्ज किये गये, अपराध संख्या 395/3 दूसरा मु0 अ0 संख्या 393/3, मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं माननीय नेता सदन ने जो पूरे प्रदेश से कहा था कि प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करेंगे यह जो वाकिया उसी बात का नमूना है। दूसरा मान्यवर, हमारे विधूना के विधायक हैं उन

पर एक दिन में दो-दो मुकदमें दर्ज कराये गये मुकदमा अपराध संख्या-555/3 और 556/3, एक दिन में दो-दो मुकदमें लगाये गये हैं चाहे वह हसवा का विधायक हो चाहे फतेहपुर का विधायक हो चाहे विधूना के विधायक हो सब पर मुकदमें कायम किये गये हैं। वरिष्ठ विधायक सुरेन्द्र पाल सिंह वर्मा इनके खिलाफ मुकदमें की साजिश की जा रही है एफ0 आई0 आर0 हो गई है लेकिन सदन चल रहा है इस कारण इसे रोक दिया गया है। दो दिन बाद एफ0 आई0 आर0 लाज की जाएगी जिस तरह से कानून माफिया के माध्यम से विधायकों को तोड़ने की साजिश की गई ...

(व्यवधान)

श्रीमन् जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को गोली का निशाना बनाया जा रहा है कौशाम्बी जनपद के थाना पश्चिम शर्रारा के लालमणि साहू भाई, इन्द्रजीत सरोज जी ने बताया एक निरीह कार्यकर्ता को सामन्तवादी लोगों ने दिन दहाड़े गोली से भून दिया। गोवर्धन सिंह चौहान निवासी जगजीवनपुर का है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की दिन दहाड़े गोली से भूनकर हत्या की जा रही है। नामजद एफ0 आई0 आर0 की गई लेकिन एक भी मुलजिम पुलिस हिरासत में नहीं आया। थाना खकेरपुर कें ग्राम प्रधान कमलेश कुमारी को गुण्डे लोगों ने गोलियों से भून दिया वह मौत का शिकार हो गई नामजद एफ0 आई0 आर0 की गई लेकिन नामजद हत्यारे घूम रहे हैं। कानून राज्य का नामोनिशान नहीं है।

(व्यवधान)

कानून नाम की चीज नहीं रह गई है। पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा है। इसी तरह से कल मऊ जनपद में दिन दहाड़े बुकिंग बाबू को गुण्डों ने लूट लिया। इसी तरीके से आज पूरे का पूरा प्रदेश गुण्डे-माफियाओं के हवाले हो चुका है और सरकार लोगों की रक्षा करने में निकम्मी हो चुकी है। मैं कहना चाहता हूं आज पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडे-माफिया हैं, वह सक्रिय हो गये हैं, जिस तरह से निरीह लोगों को गोलियों से भूना जा रहा है,. जिस तरह से विधान सभा के माननीय सदस्यों के खिलाफ साजिश हुई है, एफ0आई0आर0 दर्ज हो रही है, नेता सदन ने जो यह बात कही थी कि हम दुर्भावना से काम नहीं करेंगे,राजनीतिक विद्वेष की भावना से काम नहीं करेंगे, वह झूटी साबित हो रही है। आज जंगल राज हो गया है, गुंडे-माफिया मस्त हो गये हैं एवं जनता त्रस्त है। मान्यवर, यह लोक महत्व का विषय है, अविलम्बनीय है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी आप उत्तर दे रहे हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मौर्य जी ने जो प्रश्न रखा है इस पर पहले मैं इतना ही कहना चाहता हूं, पहले वह नाम दुरुस्त कर लें, कमलेश कुमारी नहीं है, मिथलेश कुमार है। श्री आनन्द प्रकाश लोधी, अयोध्या प्रसाद पाल और सुरेन्द्र पाल वर्मा का क्रिमिनल इतिहास पढ़कर पहले सुना दूं।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य एवं कुछ अन्य सदस्यों के जोर-जोर से बोलने पर व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

यह [×××] नहीं चलेगी। मैं कहना चाहता हूं.....

(घोर व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, गिरफ्तारी के लिए प्रयास हो रहा है और पूरी कोशिश हो रही है, गिरफ्तारी तो होगी ही मौर्या जी को मैं बताना चाहता हूं, क्रिमिनल इतिहास जिन विधायकों का है, जो मुकदमें कायम हुए हैं, वह इस सरकार में नहीं बल्कि 6-9-2003 को कायम हुए हैं,कब्रिस्तान पर कब्जे को लेकर।...

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, 06-09-2003 को किसकी सरकार थी ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मैं इसलिए यह कह रहा हूं, 8 तारीख को बहुमत साबित हुआ, 6 तारीख को मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकार को सत्ता में आए इतना कम समय हुआ था कि किसी भी तरह की साजिश इस सरकार द्वारा नहीं हुई है। यह दरख्वास्त पहली तारीख को, 01-06-2003 को थाने में पहुंच गयी थी, क्योंकि आपकी सरकार थी और यह मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया था। इसमें किसी तरह की रियायत नहीं हो सकती है। अगर किसी का क्रिमिनल इतिहास है तो उसको छूट नहीं दी जायेगी और जहाँ तक इस मामले का प्रश्न है, हत्या हुई है, और नाम का संशोधन भी कर दिया गया है, पुलिस सक्रिय है और मुल्जिमान की गिरफ्तारी की जायेगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं सदन के सम्मुख यह बताना चाहता हूँ कि श्री आनन्द प्रकाश लोधी विधायक, सदर जिला-फतेहपुर यहाँ बैठे हुए हैं। दिनांक 6-9-03 के पहले तक उनके और उनके परिवार वालों के किसी भी सदस्य पर एक भी एफ0आई0आर0 कभी भी दर्ज नहीं हुयी थी। लेकिन इस सरकार के सत्ता में आते ही उन पर झूठे-मुकदमें दर्ज किये गये। माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इस बात की पुष्टि श्री आनन्द प्रकाश लोधी से करा ली जाये।

(व्यवधान)

(शोर-शराबे के बीच में)

*श्री आनन्द प्रकाश लोधी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ बदले की भावना से कार्यवाही की जा रही है। मेरा और मेरे परिवार का उत्पीड़न किया जा रहा है। मेरा या मेरे परिवार के किसी सदस्य का कभी कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। लेकिन आज इस सरकार के आते ही

नोट :- [×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुझे झूठे मुकदमें में फंसाकर उत्पीड़ित किया जा रहा है। मेरे खिलाफ जबरदस्ती मुकदमें लिखवाये जा रहे हैं जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, पहली बात तो यह कि यह नियम-56 में नहीं आता है। मैं सरकार की तरफ से आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार की यह नीति रहेगी कि अपराधों की रिपोर्ट थानों में लिखी जाये। पिछली सरकार ने ऐसे निर्देश दे रखे थे कि अपराधों की संख्या घटाने के लिए अपराध न लिखे जायें। जो राजनीतिक ताकत रखते हैं अगर वह अपराध करते हैं तो उनको लिखा जायेगा और दण्ड भी मिलेगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्या जी का कहना है कि श्री आनन्द प्रकाश लोधी के विरुद्ध दिनांक 6-9-03 के पहले तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं था। इस सदन की परम्परा रही है कि अगर कोई सदस्य खड़ा हो जाये तो प्रथम दृष्टया उन्हें सुनते हैं। आप इसकी जांच करवा लें और सच का पता लगायें। अगर कोई अपराधी है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए अगर कोई निर्दोष है तो उसके ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए।

श्री आनन्द प्रकाश लोधी-

लेकिन मान्यवर, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरे खिलाफ झूठे मुकदमें लिखवाये गये हैं। मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को परेशान किया जा रहा है। मेरा कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। इसके बारे में आप पूरी जानकारी पता कर लें। इससे मेरी बात की पुष्टि हो जायेगी कि मैं सही कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी आप इसको सही ढंग से दिखवा लें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अगर भू-माफिया कब्रिस्तानों पर कब्जा करेंगे तो माफ नहीं किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

आप इसको दिखवा लें।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, श्री आनन्द प्रकाश लोधी ने कहा कि उनके खिलाफ दिनांक 6-9-03 से पहले कोई मुकदमा नहीं था। इसकी राजस्व से जांच हो सकती है। उन्होंने अपनी जमीन पर ही निर्माण कार्य किया है। अगर कोई अपनी जमीन पर निर्माण कराये तो उसमें कुछ गलत नहीं है। जब उन्होंने निर्माण

कार्य कराया तो उसी के तहत दिनांक 6-09-03 को उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि विधान सभा के सत्तापक्ष के भी कई माननीय सदस्य जो यहां बैठे हैं उनके क्रिमिनल इतिहास की सच्चाई भी सदन के पटल पर रखवा दें।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा नहीं हो सकता है।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, एक अनुरोध करना चाहूंगा, माननीय आनन्द प्रकाश लोधी जी के बारे में कहा गया। माननीय आजम खाँ साहब बड़े नेता हैं, उनकी सरकार है, उनकी कलम है वह जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह का विवाद है और जैसा माननीय वर्मा जी ने उद्धृत किया, सदस्य चाहे जो भी हो अगर वह कहता है कि उसकी हत्या हो जायेगी उसका अपहरण कर लिया जायेगा तो न्याय तो उसको मिलना चाहिए। आपका संरक्षण उसको मिलना चाहिए। मैं यह चाहूंगा कि उसमें कम से कम कमिश्नर लेवल या जिलाधिकारी स्तर से रिपोर्ट आ जाये सीमांकन के आधार पर फैसला किया जाए। यह आरोप लगाया जा रहा है कि कब्रिस्तान पर कब्जा कर लिया गया है। हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि इसमें आप संरक्षण दें जिससे उनको न्याय मिले। एक व्यक्ति स्वयं यह कह रहा है कि अगर यह गलत पाया जायेगा तो वह इस्तीफा देने को तैयार है। आजम खाँ एक अच्छे वक्ता हैं उन्होंने कहा कि शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया जायेगा। अगर इस प्रकार की धमकियां दी जायेगी तो आपका संरक्षण जरूरी है। हम चाहेंगे कि सीमांकन के आधार पर फैसला किया जाए।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, जो भी शंकायें हैं वह गलत हैं। कोई ऐसी बात नहीं होने दी जायेगी । शासन पूरी तरह से सजग है और पूरी तरह से निष्पक्ष न्याय होगा।

श्री अध्यक्ष-

सीमांकन के आधार पर जांच करा दीजियेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इसी क्रम में एक दूसरे विधायक हैं श्री विनय शाक्य उनके ऊपर भी एक ही दिन में तीन-तीन मुकदमें दर्ज हुए। आपके लखनऊ के ओ0 सी0 आर0 में रात में छापा पड़ा और ताला तोड़कर उनका सामान उठा ले गये।

(सत्ता पक्ष से झूठ-झूठ की आवाजें आने लगीं)

श्री अध्यक्ष-

जो आपने नियम-56 में सूचना दी थी वह प्रदेश में कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति पर दी थी और उसमें जिन घटनाओं का उल्लेख है वह उदाहरणस्वरूप हैं अगर किसी घटना विशेष के बारे में बताना चाहते हैं तो अलग से एक सूचना दे दीजिये। उसकी जांच हो जायेगी।

(व्यवधान)

अगर कोई स्पेसिफिक घटना है तो उसके बारे में अलग से दे दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य कानून व्यवस्था से सीधे जुड़े हुए हैं। यह जो माननीय सदस्य है यह खुद इसके शिकार है और वह मौजूद हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि वह अपनी सुरक्षा की गुहार आपके सामने नहीं लगायेंगे जो किसके सामने लगायेंगे। अगर सदन उनकी सुरक्षा व्यवस्था को नहीं सुनिश्चित करता है तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि [×××] इससे हमें संरक्षण और न्याय की उम्मीद नहीं है इसलिये आपके सामने यह गुहार लगायी जा रही है कि इसमें व्यवस्था देते हुए माानीय सदस्य की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। साथ ही साथ हम चाहेंगे कि निष्पक्ष जांच हो, माननीय मंत्री जी जिस समय बात रख रहे थे, उनकी दुर्भावना चाहे, अनचाहे निकल ही आयी, इसलिये मैं चाहूंगा कि निष्पक्ष जांच आपके माध्यम से इस सदन के माननीय सदस्यों की करवा ली जाये, क्योंकि यह मामला माननीय विधान सभा के सदस्यों से जुड़ा हुआ है, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सरकार दुर्भावना से ग्रस्त होकर काम कर रही हो, वह निष्पक्ष जांच कभी नहीं करवा सकती है। मैं चाहता हूं कि आपकी देख-रेख में, आपके संरक्षण में एक समिति गठित कर दी जाये, जो इसकी निष्पक्ष जांच कराये।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय इन्द्रजीत सरोज और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी की दोनों की सूचनाओं को सुना, शासन की ओर से माननीय आजम खां जी ने अपने विचार रखे, शासन की ओर से आश्वासन आया है कि जो शिकायत दी गयी है, उसकी वह निष्पक्ष जांच करा लेंगे, इस आश्वासन के बाद मैं इन दोनों सूचनाओं को अग्राह्य करता हूं। माननीय सदस्यों ने जो आशंका व्यक्त की है माननीय विधान सभा सदस्यों के बारे में उसके बारे में भी माननीय मंत्री जी कृपया निष्पक्ष जांच करा करके अवगत करायें।

(व्यवधान)

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सदस्य एक साथ अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

ठीक है मान्यवर, जैसे आपके निर्देश होंगे उनका पालन किया जायेगा।

डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा-

मान्यवर, जब तक जांच पूरी न हो जाये, तब तक कोई गिरफ्तारी न हो।

श्री अध्यक्ष-

मैं इस संबंध में स्वामी प्रसाद मौर्य जी से और लालजी वर्मा जी से बात कर लूंगा।

नोट :- [×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी एक बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिये कि न्याय प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं डालनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी की है, अब वह बोलें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई-

मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में पुराने इतिहास की ओर न जाकर, सिर्फ इतना कहूंगा कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी पुरातत्व विभाग के द्वारा जो खुदाई की गई है।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

क्या व्यवस्था का प्रश्न है ? अभी उनकी बात आयी भी नहीं और आप कह रहे हैं कि एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि जिस विषय को माननीय डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी उठाना चाह रहे हैं, उत्खनन के बारे में वह पूरी तरह से न्यायिक प्रक्रिया में है। जो विवादित विषय न्यायालय में विचाराधीन है उस पर यहां चर्चा नहीं होनी चाहिये। मान्यवर, मेरा यह भी अनुरोध है कि जो आपने यह टिप्पणी कर दी है कि मैं कभी पीठ का कहना नहीं मानता हूं वह कृपया वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपसे कह रहा था कि आप बैठे, मैं उनकी बात सुनूं अभी मालूम नहीं कि वह किस दृष्टिकोण से अपनी बात कहना चाहते हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

वह हम समझ गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

मान लीजिये उसके बाद क्या कहना चाहते हैं ?

श्री प्रमोद कुमार-

मेरा अनुरोध है कि कृपया प्रदेश के हित में कानून-व्यवस्था के हित में ऐसे विषय को न सुनें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं इस विषय के पुराने इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं। 6 मार्च, 2003 को माननीय उच्च न्यायालय ने पुरातत्व विभाग जो अपना सर्वेक्षण कार्य खत्म करने के निर्देश दिये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जो विषय न्यायालय के विचाराधीन होता है निश्चित रूप से इस सदन में उठाने की उसकी परम्परा नहीं है। निश्चित रूप से बी0 जे0 पी0 और समाजवादी पार्टी की मिलीभगत है। मान्यवर, अगर इसको उठाने की अनुमति यहां पर आप दे देंगे तो पूरा प्रदेश जलने के कगार पर आ जायेगा। इन दोनों दलों के संबंधों के बावजूद भी, जैसा नेता सदन ने भी कहा है, निश्चित रूप से इस विषय को यह गरमाना चाहते हैं। अपनी-अपनी रोटी सेंकना चाहते हैं। मेरा व्यवस्था का जो विषय है इस पर अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष-

जो सूचना माननीय बाजपेयी जी ने दी है वह आपने पढ़ी है ? माननीय वर्मा जी ने भी नहीं पढ़ी है।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल-

मान्यवर, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बोलने के पहले मालूम हो जाती हैं।

मान्यवर, जो एक अलग-अलग दो दल बैठे हैं इनकी 10 रोज पहले तक मिलीभगत थी अब

(व्यवधान)

क्या है किसी को मालूम नहीं है। दोनों पुराने भाई बैठे हैं, अगल-बगल में। इस सरकार को बने हुये जुम्मा-जुम्मा 8 रोज हुये हैं, उससे इनकी क्या अपेक्षायें हैं ?

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि पुरातत्व विभाग इसका सर्वेक्षण कार्य खत्म करें। मान्यवर, टोजो इण्टरनेशनल विकास निगम नामक संस्था ने जिसने राडार द्वारा प्रक्षेपण किया था, उसके बाद से यह खुदाई का कार्य 13 मार्च से माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर प्रारम्भ हुआ था, 21 अगस्त को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई जो 547 पन्नों की है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, प्रदेश का माहौल शान्त है। प्रदेश की जनता बहुत समस्याओं से जूझ रही है। बाढ़ की स्थिति मान्यवर, आपके सामने है। अभी लगभग काफी देर उस पर चर्चा हुई है। मान्यवर, लोगों के पेट में रोटी नहीं है। रोजगार नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है। नई सरकार ने कुछ नई घोषणायें की हैं। इस जनता के लिये कुछ करना चाहते हैं। हमारे प्रदेश का विकास 50 साल पीछे हट गया है। अब इन सवालों पर अगर बहस न हो तो मान्यवर, ज्यादा अच्छा है। जिस विषय को आप उठा रहे हैं, वह न्यायालय के विचाराधीन है। मान्यवर, यहां पर उदाहरण हैं कि पूर्व में इस तरह की बहसें रोकी गयी हैं।

श्री अध्यक्ष-

जो सूचना दी गई है वह यह है कि यह सदन इस मामले को शान्तिपूर्वक निपटाने के लिये एवं इसका सर्व स्वीकार हल निकाला जा सकें इसके लिये आम सहमति बनाने का प्रयास करें।

यह सब लोग कहते हैं कि आम सहमति बनाने का प्रयास हो।

(व्यवधान)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, 21 अगस्त को जो रिपोर्ट पेश हुई .....

श्री राम करन आर्य-

मान्यवर, प्रदेश में स्थिति इस समय अच्छी चल रही है जनता खुशी चाहती है। यह विषय यहां न आने दें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मेरे पास 1959 की इस पीठ की रूलिंग है।

श्री अध्यक्ष-

जो न्यायालय में लम्बित है उस बिन्दु पर आप यहां नहीं कह सकते हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

सुनने तो दीजिये।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, माननीय बाजपेयी जी इधर भी रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं, नियमों के ज्ञाता हैं। श्रीमन्, जो सूचना है उसको हम लोगों ने पढ़ा नहीं है कुछ अंश आपने बतायें हैं। मान्यवर, यह प्रस्ताव के रूप में है तो इसे नियम 110 में लाते, लेकिन जो नियम 56 के साथ पठित नियम 59 है वह बहुत स्पष्ट है उसमें लिखा है-न्यायाधिकरण, आयोग आदि के विचाराधीन है विषय पर चर्चा के लिये प्रस्ताव। जो विचाराधीन है न्यायालय के वह यहां नहीं दिया जायेगा। मान्यवर, जो ए0 एस0 आई0 की रिपोर्ट है उस पर यह चर्चा करना चाहते हैं जो विषय न्यायालय में विचाराधीन है। मान्यवर, इस पीठ के निर्णय रहे हैं कि ऐसे विषय जो न्यायालय में विचाराधीन हैं यहां नहीं उठ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

वह मैं उठाने की अनुमति ही नहीं दूंगा।

वह स्वीकार किये जाने योग्य है या नहीं, ग्राह्यता पर सुनूंगा तभी तो सूचना को अग्राह्य किया जायेगा।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, नियमों का अनुपालन नहीं हो रहा है। यह सदन माहौल खराब करने के लिये नहीं बना है। कृपया इस सूचना को रद्द कीजिये। इनको बोलने की अनुमति न दीजिये इस पर।

श्री अध्यक्ष-

ग्राह्यता पर सुनने के बाद ही व्यवस्था दूंगा कि अग्राह्य है। दो मिनट बोल लेने दीजिये, अब तक तो व्यवस्था आ चुकी होती।

श्री घनश्याम शुक्ल-

मान्यवर, मुझे भी दो मिनट का मौका दे दें। हर व्यक्ति बार-बार व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा है, मुझे भी मौका दे दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, नियमावली के नियम-289(2)(ख) देखें। इसमें है कि किसी ऐसे वास्तविक तथ्य पर, जो न्यायालय के विचाराधीन हो, कोई विचार प्रकट न करेंगे और न कोई आलोचना करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

कहां आलोचना हो रही है ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मेरी बात सुन लें। इसमें है कि किसी ऐसे वास्तविक तथ्य पर, जो न्यायालय के विचाराधीन हो कोई विचार न प्रकट करेंगे और न कोई आलोचना करेंगे।

श्रीमन्, उन्होंने जो तथ्य रखे हैं जिनका अभी उल्लेख किया कि माननीय उच्च न्यानयालय के आदेश से जो खुदाई का कार्य अयोध्या में हो रहा ह , जिस तथ्य का वह उल्लेख करना चाहते हैं कि उस खुदाई में जिस किसी एजेंन्सी की वह चर्चा करना चाहते हैं जो राडार के माध्यम से बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

उसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री घनश्याम शुक्ल-

अभी तो वह बात आई ही नहीं । (व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी-

घनश्याम जी, यह [×××] से नहीं होगा। आप बैठें।

माननीय अध्यक्ष जी, जिन तथ्यों में माननीय डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने विचार व्यक्त किया है उनके विचार व्यक्त किये जाने के बाद मैं यह उद्धत करते हुये आपसे आग्रह करना चाहता हूं

नोट :- [×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कि कोई सदस्य कहता रहे कि मैं न्यायालय में लम्बित मामलों का उल्लेख नहीं करूंगा, और करे तो यह ठीक नहीं है। यह तथ्य न्यायालय में लम्बित है इसलिये ऐसे किसी तथ्य का उल्लेख करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है।

श्री लाल जी टण्डन-

मान्यवर, जब कोई नोटिस आती है तो यह आपका अधिकार है कि उसको अस्वीकृत कर दें या स्वीकृत कर दें। लेकिन जब विचारार्थ स्वीकार कर लिया है तो पढ़ने की अनुमति है। आप चाहे तो रिजेक्ट कर दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मैं इस विवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं। यह बात सत्य है कि राम जन्म भूमि का मामला न्यायालय में लम्बित है, यह सत्य है कि खुदाई हुई इसके बारे में कोई विवाद नहीं है। किसी भी प्रकरण का न्यायालय में लम्बित रहना इनको बाध्य करता है कि हम उस विषय का यहां पर चर्चा न करें। खुदाई का क्या परिणाम है, उसका क्या निष्कर्ष निकाला जाएगा यह अदालत का काम है। आपने अपनी सूचना में इतनी बात कही है कि इस प्रकरण का हल आम सहमति से बनाया जा सकता है। अन्त में आपने कहा है कि इस प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाये जिससे इसका शान्तिपूर्ण हल निकाला जा सके। हमने पहले ही कहा कि इस पर चर्चा नहीं होगी, कैसे चर्चा होगी ? आप इसको छोड़कर केवल शान्तिपूर्वक हल निकालने की कोई बात कहना चाहते हैं तो अलग बात है।

कृपया शान्त रहें। यहां अगर आप यह कहें कि खुदाई से यह निष्कर्ष निकलता है और आप अपने निष्कर्ष को सदन के ऊपर लादने की कोशिश करें तो इसकी अनुमति नहीं है केवल आम सहमति के बारे में कुछ कहना चाहें तो दो-चार वाक्य में अपनी बात कह दें।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा टोकाटोकी पर-व्यवधान)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसे किसी विषय पर मैं कोई विचार व्यक्त नहीं करूंगा। मेरा सिर्फ यह कहना है कि यह सदन न्यायालय से ऊपर है और यह सदन अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे और इस प्रकरण पर आम सहमति तथ्यों के आधार पर बनाकर इस समस्या के हल की तरफ प्रयास करे, इसी बात के लिये मैं नियम-56 के माध्यम से चर्चा कराने की माँग कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

यह सूचना तात्कालिक भी नहीं है और यह प्रकरण बहुत अरसे से लम्बित है, इसलिये मैं इसे अग्राह्य करता हूँ, मैं कोई अनावश्यक विवाद नहीं चाहता।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं आपकी हर बात मानता हूँ, इसलिये आप मेरी भी एक बात मान लें। अभी जो बाजपेयी जी ने कहा है, इसमें यदि कोई ऐसी बात आ गयी हो जो न्यायालय से संबंधित हो, वह समाचार-पत्रों का अंश न बने, इसके लिये आप निर्देश दे दें।

श्री अध्यक्ष-

अभी उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है।

विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन की अवमानना के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष के निर्णय

श्री अध्यक्ष-

अब मैं सदन को एक सूचना दे रहा हूँ। विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन की अवमानना के निम्नलिखित मामलों में निर्णय ले लिया गया है :--

1--श्री देवकी नन्दन कोरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री एस0 एन0 रावत, जिला समाज कल्याण अधिकारी, अलीगढ़ के विरुद्ध प्रस्तुत सूचना, दिनांक 24 अगस्त, 2002,

2--श्री किरन पाल सिंह कश्यप, सदस्य, विधान सभा द्वारा माननीय गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री के विरुद्ध प्रस्तुत सूचना, दिनांक 27 अगस्त, 2002,

3--श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह तथा श्री शाहिद मंजूर, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा माननीय मुख्य मंत्री, सुश्री मायावती के विरुद्ध प्रस्तुत सूचना, दिनांक 3 सितम्बर, 2002,

4--श्री सीताराम निषाद, सदस्य, विधान सभा द्वारा माननीय पर्यावरण मंत्री के विरुद्ध प्रस्तुत सूचना, दिनांक 5 सितम्बर, 2002,

5--श्री राम किशुन, सदस्य, विधान सभा द्वारा माननीय सिंचाई मंत्री के विरुद्ध प्रस्तुत सूचना, दिनांक 5 सितम्बर, 2002,

6--श्री प्रमोद कुमार, सदस्य, विधान सभा द्वारा माननीय अध्यक्ष, विधान सभा के विरुद्ध प्रस्तुत सूचना, दिनांक 18-2-2003,

7--श्री लाल जी वर्मा, सदस्य, विधान सभा एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री तथा डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा एवं पशुधन एवं दुग्ध विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा श्री मोहम्मद आजम खाँ, नेता, विरोधी दल के विरुद्ध प्रस्तुत सूचना, दिनांक 3 मार्च, 2003,

उपर्युक्त सभी मामलों में विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचनायें अग्राह्य कर दी गयी हैं।

उक्त सूचनाओं पर मेरे द्वारा दिये गये निर्णय सदन की आज की कार्यवाही के अंग माने जायेंगे तथा पढ़े हुये माने जायेंगे।

(सदन की सहमति से संलग्न निर्णय पढ़े हुये माने गये)।

श्री देवकी नन्दन कोरी द्वारा श्री एस0 एन0 रावत जिला समाज कल्याण अधिकारी अलीगढ़ के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

[श्री देवकी नन्दन कोरी, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 की नियम-63 के अन्तर्गत श्री एस0 एन0 रावत, जिला समाज कल्याण अधिकारी, अलीगढ़ के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना, दिनांक 24 अगस्त, 2002 को अभिसूचित की है।

माननीय सदस्य का कथन है कि समाज कल्याण विभाग के बजट पर बोलने की तैयारी हेतु वे कुछ जानकारी लेने के लिए श्री एस0 एन0 रावत, जिला समाज कल्याण अधिकारी, अलीगढ़ के पास दिनांक 05 अगस्त, 2002 को गये थे। उस समय उनके साथ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, श्रीमती उमेश कुमारी भी थीं। माननीय सदस्य का यह भी कहना है कि श्री रावत ने न तो उन्हें बैठने के लिए कहा और न ही उनका अभिवादन किया बल्कि उनके द्वारा मांगी गयी सूचना एवं आंकड़े देने से मना किया तथा यह कहते हुए कि कौन से मंत्री हो, विधायक ही तो हो, उनका मजाक उड़ाया और अपमानित किया। इसकी सूचना श्री देवकी नन्दन के द्वारा श्री सी0 एल0 कुरील, मुख्य विकास अधिकारी अलीगढ़ को मौखिक रूप से दी गयी थी। माननीय सदस्य का यह भी कहना है कि श्री रावत के इस कृत्य से उन्हें बहुत ठेस पहुँची है, और इससे केवल उनका ही नहीं वरन पूरे सदन का अवमान हुआ है। उन्होंने श्री एस0 एन0 रावत के विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमानना की कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया।

प्रश्नगत प्रकरण में माननीय समाज कल्याण मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी। माननीय मंत्री जी ने अपने पत्र दिनांक 17 मई, 2003 द्वारा सूचित किया है कि उक्त प्रकरण की जांच जिलाधिकारी अलीगढ़ के द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ़ से कराई गयी थी। जांच-आख्या के अनुसार समाज कल्याण कार्यालय, अलीगढ़ में तैनात सहायक श्री इन्दल सिंह, श्री छंगामल तथा श्री प्रभुचरन घटना के समय कक्ष में ही नहीं थे किन्तु कक्ष के बाहर माननीय सदस्य को यह कहते हुए सुना गया कि जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रोटोकाल की जानकारी नहीं है। कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक श्री प्रताप सिंह के बयान में यह उल्लेख किया है कि घटना के समय वह श्री एस0 एन0 रावत, जिला समाज कल्याण अधिकारी, के कक्ष में थे और उनसे वार्ता कर रहे थे। उसी समय माननीय सदस्य, श्री देवकी नन्दन कोरी एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, अलीगढ़, श्रीमती उमेश कुमारी उनके कक्ष में आये और श्री रावत से कुछ सूचनायें उपलब्ध कराने को कहा। इसके बाद प्रोटोकाल को लेकर श्री एस0 एन0 रावत और माननीय सदस्य के बीच वाद-विवाद हुआ।

इस सम्बन्ध में श्री एस0 एन0 रावत, जिला समाज कल्याण अधिकारी ने अपने स्पष्टीकरण दिनांक 15 जनवरी, 2003 में कहा है कि मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या एकपक्षीय है तथा उनके कार्यालय के लिपिक श्री प्रताप सिंह द्वारा द्वेष भावना से प्रेरित होकर उनके विरुद्ध बयान दिया गया है। श्री रावत ने यह भी कहा है कि माननीय सदस्य के उनके कार्यालय में आने पर श्री रावत द्वारा आदरपूर्वक उनका अभिवादन किया गया तथा विनम्रतापूर्वक बैठने को कहा गया तथा माननीय सदस्य द्वारा जो भी सूचनाएं/आंकड़े मांगे गये उन्हें तत्समय उपलब्ध भी करा दिया गया। श्री रावत के अनुसार माननीय सदस्य के साथ उन्होंने कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया, फिर भी माननीय सदस्य यदि ऐसा अनुभव करते हैं तो इसके लिए उन्हें खेद है।

इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष-पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन (1985-89) के पृष्ठ 272 के कालम 569 पर उल्लिखित निर्णय कि "प्रत्येक मानहानिकारक बात के सम्बन्ध में सदन द्वारा ध्यान देना अथवा कार्यवाही करना सभा की गरिमा के अनुरूप नहीं माना जाता" अवलोकनीय है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रश्नगत सूचना एवं उसके सम्बन्ध में प्राप्त आख्या एवं उपर्युक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि इस मामले में विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। अतः मैं इस प्रकरण को समाप्त करता हूं।]

श्री किरन पाल सिंह कश्यप द्वारा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

[श्री किरन पाल सिंह कश्यप, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-63 के अन्तर्गत माननीय गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दिनांक 27 अगस्त, 2002 को अभिसूचित की है। माननीय सदस्य का कथन है कि माननीय गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री ने विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2002 के तीसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-135 का उत्तर सदन में गलत देकर गुमराह किया है एवं उनके सही उत्तर प्राप्त करने के विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है। माननीय सदस्य का यह आरोप है कि उनकी जानकारी के अनुसार जनपद मुजफ्फरनगर स्थित कस्तूरी चीनी मिल द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2002 के बाद क्रय किये गये गन्ने की कीमत का भुगतान किसानों को नहीं दिया गया था जबकि तत्कालीन गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री द्वारा सूचना दी गयी कि कस्तूरी चीनी मिल द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2002 तक खरीदे गये गन्ने के मूल्य का भुगतान किसानों को गन्ना समिति के माध्यम से कर दिया गया है। इसके पश्चात् की अवधि का गन्ना मूल्य बकाया है।

उक्त प्रसंग में माननीय गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री से उनका अभिकथन प्राप्त किया गया। माननीय मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 14 नवम्बर, 2002 द्वारा अवगत कराया है कि कस्तूरी चीनी मिल द्वारा गन्ना किसानों से दिनांक 15 मार्च, 2002 तक खरीदे गये गन्ने के मूल्य का भुगतान समिति, ऊन एवं थाना भवन के माध्यम से बैंकों क्रमशः दिनांक 9 अगस्त, 2002, 14 अगस्त, 2002 तथा 17 अगस्त, 2002 को कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री ने सुसंगत दस्तावेजों की प्रतिलिपियां साक्ष्य के रूप में संलग्न करते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि तत्कालीन माननीय गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर तथ्यपरक् एवं सत्य पर आधारित है तथा सदन को सत्य सूचना दी गयी है।

माननीय सदस्य द्वारा विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की अभिसूचित सूचना तथा माननीय गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री द्वारा प्रेषित वस्तुस्थिति के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि माननीय मंत्री द्वारा सदन में दिया गया उत्तर सही है और उससे सदन को गुमराह नहीं किया गया है।

नोट-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वर्णित स्थिति में प्रश्नगत प्रकरण में प्राग्दर्शन में विशेषाधिकर की अवहेलना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता है। अतः मैं इस सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूँ।]

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा मुख्य मंत्री सुश्री मायावती के विरुद्ध दिनांक 3 सितम्बर, 2002 को विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की अभिसूचित, सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

[श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह तथा श्री तथा श्री शाहिद मंजूर, सदस्यगण, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-63 के अन्तर्गत माननीय मुख्य मंत्री सुश्री मायावती के विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दिनांक 03 सितम्बर, 2002 को अभिसूचित की थी। उक्त सूचना में माननीय सदस्यगण का कथन है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2002-2003 के बजट अनुमानों पर बजट भाषण के पृष्ठ-25-26 पर अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि "इस योजनान्तर्गत वर्ष 1997 तक चयनित ग्रामों में अवशेष कार्यों को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर इसी वर्ष पूर्ण किया जायेगा।" तथा इस सम्बन्ध में विधान सभा के द्वितीय सत्र 2002 के तीसरे सोमवार दिनांक 26 अगस्त, 2002 को उनके द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-3, जिसमें यह पूछा गया था कि "क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में शासन द्वारा जून, 2002 तक घोषित अम्बेडकर ग्रामों की पूर्ण रूप से संतृप्त करने की कोई विशेष योजना सरकार द्वारा बनाई गयी है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? प्रश्न के प्रथम भाग का माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर दिया गया कि" जी हाँ तथा प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर दिया गया कि "योजना चयनित अम्बेडकर ग्रामों को 11 प्रमुख कार्यक्रमों से संतृप्त करने की है। साथ ही 11 प्रमुख कार्यक्रमों का उल्लेख भी उत्तर में किया गया था। माननीय सदस्यगण ने माननीय मुख्यमंत्री के उक्त बजट भाषण में उल्लिखित कथन तथा उनके द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 2002 को तारांकित प्रश्न संख्या-3 के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर को असत्य एवं उसमें विरोधाभास बताते हुये माननीय मुख्यमंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दी है।

प्रश्नगत प्रकरण में माननीय मुख्यमंत्री के अभिकथन/वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी। माननीय राज्यमंत्री अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग ने अपने पत्र दिनांक 18 नवम्बर, 2002 द्वारा अवगत कराया है कि वर्ष 2002-2003 के बजट भाषण तथा तारांकित प्रश्न संख्या-3 के उत्तर में कोई विरोधाभाष नहीं है। दोनों में यही लिखा गया है कि" चयनित अम्बेडकर ग्रामों को 11 प्रमुख कार्यक्रमों से संतृप्त करने की योजना है। अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अधीन चयनित अम्बेडकर ग्रामों में 11 कार्यक्रम यथा-सम्पर्क मार्ग निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण नाली/खड़न्जा निर्माण, स्वच्छ शौचालय, निःशुल्क बोरिंग, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इन्दिरा आवास, स्वच्छ पेयजल, स्कूल भवन, वृद्धावस्था पेंशन तथा विधवा पेंशन चलाये जाते हैं एवं योजना के अधीन इस ग्रामों को उक्त 11 कार्यक्रमों से संतृप्त किया जाता है। बजट भाषण में भी यही उल्लेख है कि वर्ष 1997 के चयनित ग्रामों में अवशेष कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर इसी वर्ष पूरा किया जायेगा। इस वर्ष के लिये नये ग्रामों का चयन कर उन्हें समयबद्ध तरीके से सभी कारकों में संतृप्त किया जायेगा। उक्त पत्र में यह

भी कहा गया है कि बजट भाषण में किया गया उल्लेख तथा प्रश्न के उत्तर में किया गया उल्लेख समान है और दोनों ही कथन सत्य एवं तथ्यपरक है तथा सदन को किसी प्रकार से गुमराह नहीं किया गया है।

माननीय सदस्यगण द्वारा विशेषाधिकार-हनन एवं सदन के अवमान के प्रश्न की उक्त सूचना तथा माननीय राज्यमंत्री अम्बेडकर ग्राम विकास द्वारा प्रेषित वस्तुस्थिति के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सदन में दिया गया उत्तर सही है और उससे सदन को गुमराह नहीं किया गया है। वर्णित स्थिति में प्रश्नगत प्रकरण में प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता है, अतः मैं इस सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं।]

श्री सीताराम निषाद द्वारा पर्यावरण मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की अभिसूचित सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

[श्री सीताराम निषाद, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-63 के अन्तर्गत माननीय पर्यावरण मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना दिनांक 5 सितम्बर, 2002 को अभिसूचित की है।

माननीय सदस्य का कथन है कि दिनांक 29 अगस्त, 2002 को सदन की प्रक्रिया नियमावली के नियम-51 के अन्तर्गत उनके द्वारा जनपद फैजाबाद में मड़हा नदी (तमसा) का पानी विषैला हाने के कारण नदी के जीव-जन्तु, पशुओं व मानव जीवन को खतरा उत्पन्न होने के संबंध में दी गयी सूचना पर माननीय पर्यावरण मंत्री द्वारा दिनांक 4 सितम्बर, 2002 को सदन में दिया गया वक्तव्य कि "आसवनी इकाई से शून्य उत्प्रवाह निस्तारित होने के कारण तमसा नदी में किसी प्रकार का औद्योगिक विषैला, उत्प्रवाह निस्तारित नहीं किया जा रहा है। इस क्षेत्र में बीमारी फैलने की कोई सूचना प्राप्त नहीं है", असत्य एवं निराधार है। माननीय सदस्य का यह कहना है कि आसवनी का औद्योगिक विषैला व प्रदूषित उत्प्रवाह मड़हा नदी में निरन्तर निस्तारित कर प्रवाहित किया जा रहा है जिससे मड़हा नदी का पानी विषैला हो गया है और नदी के जीव-जन्तु व मछलियां मर गयी हैं। नदी में घुसने व पानी पीने से जानवर मर रहे हैं और नदी में नहाने से व नदी का पानी प्रयोग करने से नदी के किनारे के गांव वाले भयंकर चर्म रोग के शिकार हो रहे हैं। माननीय सदस्य ने माननीय पर्यावरण मंत्री द्वारा सदन में दिये गये उक्त वक्तव्य में तथ्यों को छिपाकर सम्मानित सदन को गुमराह किये जाने के लिए उनके विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न के रूप में कार्यवाही किये जाने की मांग की है।

इस संबंध में माननीय पर्यावरण मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी। माननीय पर्यावरण मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 27 फरवरी, 2003 द्वारा अवगत कराया है कि सदन में उनके द्वारा दिया गया वक्तव्य संबंधित चीनी इकाई के बन्द होने एवं आसवनी इकाई के शून्य उत्प्रवाह

नोट :-] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निस्तारित होने के परिप्रेक्ष्य में दिया गया था। इस प्रकार सम्मानित सदन को किसी प्रकार गुमराह नहीं किया गया है।

माननीय सदस्य की उक्त सूचना एवं माननीय पर्यावरण मंत्री द्वारा स्पष्ट की गयी स्थिति के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रश्नगत मामले में माननीय पर्यावरण मंत्री द्वारा सदन में दिये गये वक्तव्य में गलतबयानी नहीं की गयी है। वर्णित स्थिति में प्रश्नगत मामले में प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता है। अतः मैं प्रश्नगत सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं।]

श्री राम किशुन द्वारा दिनांक 5 सितम्बर, 2002 को सिंचाई मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की अभिसूचित सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

[श्री राम किशुन सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-63 के अन्तर्गत माननीय सिंचाई मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की एक सूचना दिनांक 5 सितम्बर, 2002 को अभिसूचित की है। उक्त सूचना में माननीय सदस्य का कथन है कि दिनांक 16 अगस्त, 2002 के उपवेशन में नियम 51 के अन्तर्गत उनके द्वारा दी गई सूचना के संबंध में माननीय सिंचाई मंत्री ने दिनांक 24 अगस्त, 2002 को सदन में दिये गये अपने वक्तव्य में तथ्यों को छिपाकर गलत उत्तर देकर सदन को गुमराह किया है जिससे उनके सही उत्तर प्राप्त करने के विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है। माननीय सदस्य की यह शिकायत है कि उनकी जानकारी के अनुसार अधिशासी अभियन्ता, चन्द्र प्रभा प्रखण्ड मुगल सराय चन्दौसी द्वारा दिनांक 22-6-2002 को नौगढ़ बांध से पानी खोलने का आदेश दिया गया था जबकि माननीय सिंचाई मंत्री ने अपने वक्तव्य में यह कहा है कि अप्रैल व जून के महीने में नौगढ़ बांध व लतीफ शाह वियर से मछली के ठेकेदारों द्वारा कोई पानी नहीं बहाया गया। माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में उक्त वक्तव्य को भ्रामक बताया है।

उक्त प्रसंग में माननीय सिंचाई मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी। माननीय मंत्री जी ने अपने पत्र दिनांक 22 अप्रैल, 2003 द्वारा अवगत कराया है कि उनके द्वारा पूर्व में दी गयी सूचना कि माह अप्रैल व जून 2002 में मछली के ठेकेदारों द्वारा कोई पानी नहीं बहाया गया, सत्य है। अधिशासी अभियन्ता, चन्द्र प्रभा प्रखण्ड द्वारा दिनांक 22-6-2002 को नौगढ़ बांध से पानी खोलने हेतु आदेश दिये जाने के संबंध में माननीय मंत्री जी का कहना है कि दिनांक 8-6-2002 से खरीफ की सिंचाई हेतु कर्मनाशा प्रणाली की नहर चलायी गयी थी। इन नहरों के संचालन हेतु नौगढ़ एवं मूसा खण्ड बांध पानी खोलकर लतीफशाह वियर में डाला जाता है तथा लतीफशाह वियर से निकलने वाली दायीं एवं बायीं नहर प्रणाली तथा जनकपुर फीडर का संचालन किया जाता है। इस प्रकार अधिशासी अभियन्ता द्वारा नौगढ़ बांध से दिनांक 22-6-2002 को पानी खोलने का आदेश संचालन की सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत आवश्यक था क्योंकि बिना बांधों से पानी दिये नहरों का संचालन सम्भव नहीं था।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

माननीय सदस्य द्वारा विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की अभिसूचित सूचना तथा माननीय सिंचाई मंत्री द्वारा प्रेषित वस्तुस्थिति के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि माननीय सिंचाई मंत्री द्वारा सदन में दिया गया उत्तर सही है और उससे सदन को गुमराह नहीं किया गया है।

वर्णित स्थिति में प्रश्नगत प्रकरण में प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता है, अतः मैं इस सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं।]

श्री प्रमोद कुमार द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2003 को माननीय अध्यक्ष, विधान सभा के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

[माननीय अध्यक्ष विधान सभा के विरुद्ध मा0 श्री प्रमोद कुमार सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दिनांक 18-2-2003 के संबंध में मुझे सदन को यह सूचित करना है कि श्री प्रमोद कुमार, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष, विधान सभा श्री केशरी नाथ त्रिपाठी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दी है। श्री कुमार ने अपनी सूचना में यह कहा है कि "दिनांक 18 फरवरी, 2003 को लगभग तीन-चार घण्टे तक मा0 अध्यक्ष, विधान सभा का कक्ष बन्द कर, हमारे बारम्बार प्रयास करने के बावजूद फोन पर या व्यक्तिगत रूप से मा0 अध्यक्ष, विधान सभा, उ0प्र0 से सम्पर्क न कर पाने पर मा0 अध्यक्ष, विधान सभा का कक्ष खुलने पर दिनांक 28 फरवरी, 2003 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 07 सदस्यों के दल-बदल के संदर्भ में वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिये मैं, सम्मानित सदस्य, श्री राम नरेश यादव एवं श्री श्याम सूरत उपाध्याय जी के साथ मा0 अध्यक्ष, विधान सभा, उ0प्र0 के कक्ष में गया था और वहां से उपरोक्त सम्मानित सदस्यों के साथ मा0 अध्यक्ष, विधान सभा, उ0प्र0 के कक्ष से बाहर निकल रहा था तभी प्रेस के अनुरोध पर मैंने यह कहा कि आप लोग मेरे कमरे में आ जायं, परन्तु प्रेस के यह कहने पर कि अभी इसी स्थान पर अलग हुए लोगों ने पत्रकार वार्ता की है। अतः आप भी यहीं पर अपनी प्रतिक्रिया दें। मेरे प्रयास के बाद भी प्रेस के अनुरोध पर मैं खड़े-खड़े अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर ही रहा था कि श्री केशरी नाथ त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा, इलाहाबाद दक्षिणी, (माननीय अध्यक्ष), विधान सभा उ0प्र0 अपने कक्ष से निकल कर जिस कक्ष में मैं पत्रकारों को सम्बोधित कर रहा था, आये तथा उन्होंने अत्यन्त अपमानजनक और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए प्रेस के और उपरोक्त सम्मानित सदस्यों श्री राम नरेश यादव एवं श्री श्याम सूरत उपाध्याय जी के सामने मुझे धक्का देते हुए कक्ष से निकल जाने को कहा।"

श्री कुमार ने अपनी सूचना में यह भी कहा है कि "श्री त्रिपाठी का व्यवहार अत्यन्त अपमानजनक एवं अमर्यादित तथा अभद्र भाषा से परिपूर्ण तो था ही, साथ ही साथ उनका शारीरिक रूप से धक्का देकर कक्ष से बाहर निकालने का प्रयास दुखद, अपमानजनक तथा अमर्यादित था जिसे सम्पूर्ण प्रेस ने तथा मेरे साथ रहे सम्मानित सदस्यों श्री राम नरेश यादव एवं श्री श्याम सूरत

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उपाध्याय जी ने भी देखा" श्री कुमार का कहना है कि उक्त घटना इलेक्ट्रानिक मीडिया के कैसेट एवं उपरोक्त सम्मानित सदस्यों श्री राम नरेश यादव एवं श्री श्याम सूरत उपाध्याय जी को साक्ष्य के रूप में समय पर प्रस्तुत किया जायेगा। उन्होंने यह भी शिकायत की है कि माननीय अध्यक्ष, विधान सभा का यह कृत्य मेरा ही नहीं बल्कि पूरे सदन की अवमानना तथा विशेषाधिकार हनन का प्रश्न बनता है। उन्होंने अनुरोध किया है कि श्री केशरी नाथ त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा, इलाहाबाद दक्षिणी (मा0 अध्यक्ष विधान सभा, उ0प्र0) के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की कार्यवाही की जाये।

श्री प्रमोद कुमार के द्वारा 28 जनवरी, 2003 की घटना का उल्लेख करते हुए 20 फरवरी, 2003 को दी गई प्रश्नगत विलम्बित सूचना के संबंध में उत्तर प्रदेश विधान सभा लोक सभा के दृष्टान्तों का अध्ययन किया गया। उत्तर प्रदेश विधान सभा में अध्यक्ष पद से दिये गये निर्णयों के संकलन (वर्ष 1952 से 1967 तक) के पृष्ठ 509 पर तत्कालीन अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा दिये गये निम्नलिखित निर्णय अवलोकनीय हैं :-

<u>59-अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।</u>

30 अगस्त, 1957 को श्री उपाध्यक्ष के विरुद्ध श्री त्रिलोकी सिंह द्वारा उठाये गये एक विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर निर्णय देते हुए श्री अध्यक्ष ने कहा--

"मैं एक सूचना देना चाहता हूं। तारीख 03 अगस्त को यहां आदरणीय सदन में उपाध्यक्ष और गेंदा सिंह जी में कुछ थोड़ी बातचीत सी हो गई थी। उस विषय पर विरोधी दल के नेता जी ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न मेरे सामने उपस्थित किया था। मैंने उसमें फैसला दे दिया है कि जो अध्यक्ष पर पर हो उसके खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं आ सकता है और यह मैंने कहा था कि उचित है कि अध्यक्ष या पदासीन व्यक्ति को खुद ऐसे प्रश्न को निपटा देना चाहिये]

<u>60-अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव आ सकता है, विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं।</u>

25 जुलाई, 1966 को श्री हमीमुद्दीन द्वारा श्री अध्यक्ष के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष ने कहा--

"उस संबंध में मैं केलव इतना ही कह देना चाहता हूं कि हमारी परम्परा और पूर्व निर्णय इस बात का निश्चित रूप से निर्णय कर चुके हैं कि अध्यक्ष के विरुद्ध अथवा और किसी के विरुद्ध जिसके हटाये जाने का प्रस्ताव आ सकता है, उसके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं आ सकता।"

अब अगर किसी माननीय सदस्य का यह ख्याल हो कि मैं किसी ऐसे षड़यंत्र में शामिल हूं कि जिसके द्वारा इस आदरणीय सदन का अपमान होता है तो उस दशा में यहां इस स्थान पर बैठ नहीं सकता तो मुझे हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं लाया जा सकता ।"

<u>61-अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।</u>

17 सितम्बर, 1958 को एक विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर निर्णय देते हुए श्री अध्यक्ष ने कहा--

....यह प्रश्न नेकराम शर्मा जी के द्वारा उठाया गया था और उन्होंने भी सवाल ब्रीच आफ प्रिविलेज का उठाया था। मैंने इसके लिये कहा था कि ब्रीच आफ प्रिविलेज का कोई सवाल इस विषय में उठता नहीं है और मेरी अब भी यह राय है कि उपाध्यक्ष अगर इस तरह की बात लिख कर भी दें तो ब्रीच आफ प्रिविलेज का सवाल नहीं उठता क्योंकि सदन को यह अधिकार है कि अगर वह समझता है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ठीक से काम नहीं करते हैं तो उनको उनके पद से हटा दें। इसलिये आप उनके खिलाफ ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न नहीं ला सकते। किसी सदस्य के खिलाफ आप ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न ला सकते हैं क्योंकि आप उसको मेम्बरी से नहीं निकाल सकते हैं। तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को जब आप हटाने की शक्ति रखते हैं तो ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न उठाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती। इसलिये मैंने कल आपसे कहा था कि ब्रीच आफ प्रिविलेज का सवाल उनके खिलाफ नहीं ला सकते चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो लेकिन उन्होंने जो कुछ लिखा है उसको मैं बाद में बताऊंगा।

इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश विधान सभा की अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णयों के संहृत संकलन पुस्तक 2 (17 मार्च, 1969-11 मई, 1973 तक) के पृष्ठ-65-66 पर निम्नलिखित निर्णय का भी उल्लेख है :--

8-<u>अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव नहीं उठाया जा सकता।</u>

12 मई, 1970 को श्री अध्यक्ष ने दो विशेषाधिकार प्रश्नों, एक श्री अध्यक्ष के विरुद्ध तथा दूसरी उपाध्यक्ष के विरुद्ध, को सूचना देते हुए कहा था कि, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के विरुद्ध कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

लोक सभा में भी एक ऐसा ही दृष्टान्त उपलब्ध है जो लोक सभा के वाद विवाद (थर्ड सिरीज) वाल्यूम 34 के पृष्ठ 5198 एवं 5199 पर उल्लिखित है जिसमें लोक सभा के तत्कालीन अध्यक्ष के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की दो सूचनाओं को तत्कालीन माननीय अध्यक्ष ने अस्वीकार कर दिया था। लोक सभा के माननीय अध्यक्ष का उक्त कथन निम्नलिखित है :-

टूडे वी आर एडजर्निंग साइन डाई द नोटिसेज हैड बीन क्येश्ट इन अवेन्स इवेन इट बी इनडाइरेक्टली द कान्डेक्ट आफ द स्पीकर इज श्योर टू बी डिस्कस्ड इफ द प्रीवीलेज मोशन आर एडमिटेड देयरफोर दिस कैन नाट वी डन द डिस्कशन कैन आनली टेक प्लेस ह्वेन ए डायरेक्ट मोशन फार द रिमुअल आफ द स्पीकर इज देयर हेन्स आई डिसएलाउड दीस टू मोसन्स।

(आज हम अनिश्चित काल के लिये उठ रहे हैं। सूचनाओं को अस्थगित रखा गया था। चाहे वह परोक्ष रूप से हो, यदि विशेषाधिकार की सूचनाएं ग्राह्य कर ली गई हैं, तो अध्यक्ष के आचरण पर चर्चा की जा सकती है, इसलिये यह नहीं हो सकता है। चर्चा तभी हो सकती है जब अध्यक्ष को हटाने का मूल प्रस्ताव हो। इसलिये मैंने इन प्रस्तावों को अग्राह्य कर दिया है)

श्री प्रमोद कुमार ने 28 जनवरी, 2003 की घटना के बारे में प्रश्नगत विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना 18 फरवरी, 2003 को दी है जो इस सचिवालय में 20 फरवरी, 2003 को प्राप्त हुई है। इस प्रकार यह सूचना अत्यन्त विलम्बित है। इस आधार पर भी वह ग्राह्य किये जाने योग्य नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार की सूचना तथ्यात्मक रूप से भी गलत व निराधार है। श्री प्रमोद कुमार ने स्वयं ही पत्रकारों के समक्ष मेरे विरुद्ध अमर्यादित व अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए मेरे विरुद्ध अनर्गल आरोप लगाये थे। तभी मैंने उनसे कहा था कि बहुत हो गया अब आप जाइये। धक्का देने की बात काल्पनिक व सत्य से परे है।

अतः इस संबंध में इस सदन के पूर्व दृष्टान्तों तथा लोक सभा के भी दृष्टान्त तथा तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए और यह भी देखते हुए कि प्रश्नगत सूचना अत्यन्त विलम्ब से दी गई है, मैं विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना के इस प्रश्न की सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं।]

नेता, विरोधी दल श्री मोहम्मद आजम खां के विरुद्ध दिनांक 3 मार्च, 2003 को श्री लालजी वर्मा तथा डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी मंत्री द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

[श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री तथा डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा एवं पशुधन एवं दुग्ध विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-63 के अन्तर्गत श्री मोहम्मद आजम खां, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दिनांक 3 मार्च, 2003 को अभिसूचित की है।

माननीय मंत्रीद्वय का कथन है कि दिनांक 28 फरवरी, 2003 को उत्तर प्रदेश विधान सभा के वर्ष 2003 के प्रथम सत्र के शुभारम्भ के दिन महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण के पश्चात् जब अपराह्न 12.30 बजे विधान सभा का उपवेशन प्रारम्भ हुआ, उस समय श्री मोहम्मद आजम खां, नेता विरोधी दल, विधान सभा ने अपने भाषण में महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा किये गये अभिभाषण के विषय में कतिपय आपत्तियां उठाने के साथ-साथ यह भी कहा कि :--

"जब राज्यपाल महोदय सदन में दाखिल हुए तो उन्होंने यह कहा था इब्तिदयाये इश्क में रोता है क्या, आगे-आगे देखिये होता है क्या। जिस प्रदेश के राज्यपाल खुद यह कह चुके हैं कि इब्तिदयाये इश्क में रोता है क्या, आगे-आगे देखिये होता है क्या। सवाल यह है कि जहां आप बैठे हैं, वहां क्या-क्या हुआ है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा कि "राज्यपाल महोदय ने पूर्व में ही कहा कि मैं एक शब्द पहला पढ़ूंगा और एक शब्द आखिरी पढ़ूंगा और जयरामजी कहकर चला जाऊंगा। आप उत्तर प्रदेश विधान सभा की ही नहीं किसी प्रदेश की विधान सभा की कार्यवाही निकलवा कर देखेंगे। आज तक प्रदेश के किसी राज्यपाल ने कार्यवाही से पहले अपनी बुजदिली, अपनी कम हिम्मती और अपने निकम्मेपन का सबूत राज्यपाल निवास से नहीं दिया।"

माननीय नेता, विरोधी दल के उपर्युक्त कथन को विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना का निश्चित प्रश्न मानते हुए उक्त दोनों माननीय मंत्रियों ने उनके विरुद्ध प्रश्नगत सूचना दी

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है। इस सम्बन्ध में मोहम्मद आजम खां, माननीय नेता विरोधी दल, विधान सभा का अभिकथन मांगा गया। माननीय नेता विरोधी दल ने अपने पत्र दिनांक 26 मार्च, 2003 द्वारा संदर्भित विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना के प्रश्न के विषय को तथ्यहीन एवं बलहीन बताते हुए निरस्त करने योग्य बताया है।

मैंने दिनांक 28 फरवरी, 2003 की कार्यवाही की असंशोधित प्रति के संगत अंश का परीक्षण किया। उक्त अंशों से यह स्पष्ट है कि उक्त तिथि की कार्यवाही के जिस अंश के सम्बन्ध में आपत्ति की गयी थी, उसे माननीय आवास एवं नगर विकास मंत्री के अनुरोध पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की उक्त तिथि की कार्यवाही से निकाल दिये जाने के निर्देश दिये थे और उक्त अंश को कार्यवाही से निकाला जा चुका है।

अध्यक्ष-पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन (17 मार्च, 1969 से 30 दिसम्बर, 1978) के पृष्ठ संख्या-130 के निर्णय संख्या-42 में ऐसे ही एक मामले में यह निर्णय दिया गया है कि "आपत्तिजनक शब्दों के कार्यवाही में अंकित न होने के कारण सम्बन्धित सदस्य के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बनता।" इसी प्रकार अध्यक्ष-पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन 1979-84 के पृष्ठ-290 पर अंकित निर्णय संख्या-523 में भी यह उल्लेख है कि "जो अंश कार्यवाही के अंग नहीं होंगे उनके विरुद्ध कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।"

अतः पूर्व दृष्टान्तों के प्रकाश में मैं इस मत का हूं कि इस प्रकरण में विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार मैं माननीय मंत्रीगण की उपर्युक्त सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं।]

उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2003-2004 की "लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति" और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थाई समितियां" में विधान सभा सदस्यों को नाम निर्देशित करने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

दो प्रस्ताव हैं जिन्हें माननीय मंत्री जी आप प्रस्तुत करना चाहेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 16 सितम्बर, 2003 को निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं। "यह सदन .उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2003-2004 की 'लोक लेखा समिति', 'प्राक्कलन समिति', 'अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति', 'सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति' और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थाई समितियों" में सदस्यता के लिये सम्बन्धित नियमों एवं संकल्पों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित है, श्री अध्यक्ष को उक्त सभी समितियों में वर्ष 2003-2004 के लिये अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम-निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे

कृपया उक्त समितियों में नाम-निर्देशन कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उपर्युक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हो, पूर्ति के लिये यथासमय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिये भी श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में संबंधित नियमों एवं संकल्पों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि "यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2003-2004 की 'लोक लेखा समिति', 'प्राक्कलन समिति', 'अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति', 'सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति' और मंत्रियों की को परामर्श देने वाली 30 स्थाई समितियों" में सदस्यता के लिये सम्बन्धित नियमों एवं संकल्पों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित है, श्री अध्यक्ष को उक्त सभी समितियों में वर्ष 2003-2004 के लिये अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम-निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समितियों में नाम-निर्देशन कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उपर्युक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हो, पूर्ति के लिये यथासमय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिये भी श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में संबंधित नियमों एवं संकल्पों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद एवं सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम्, मेरठ के प्रबन्ध बोर्ड में विधान सभा के सदस्यों को नाम निर्देशित किये जाने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 16 सितम्बर, 2003 को निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं :--

"यह सदन प्रस्ताव करता हैं कि चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिये एक सदस्य के निर्वाचन, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिये एक सदस्य के निर्वाचन एवं सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम्, मेरठ के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन कराये जाने के प्रस्ताव जो इस माननीय सदन में दिनांक 04 मार्च, 2003 को स्वीकार किये गये हैं, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों की उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, उक्त निकायों में कार्य करने के लिये यथास्थिति एक, एक व दो सदस्यों का निर्वाचन करने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के दो सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिये प्राधिकृत करता है और यह निश्चय

करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त निकायों में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि "यह सदन प्रस्ताव करता हैं कि चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिये एक सदस्य के निर्वाचन, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिये एक सदस्य के निर्वाचन एवं सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम्, मेरठ के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन कराये जाने के प्रस्ताव जो इस माननीय सदन में दिनांक 04 मार्च, 2003 को स्वीकार किये गये हैं, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों की उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, उक्त निकायों में कार्य करने के लिये यथास्थिति एक, एक व दो सदस्यों का निर्वाचन करने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के दो सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिये प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त निकायों में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

एक सदस्यीय समता पार्टी के सदस्य श्री राजाराम द्वारा समाजवादी पार्टी में विलय की घोषणा

श्री अध्यक्ष-

श्री राजाराम जी आपने कुछ कहने के लिये अनुरोध किया है, आप बतायें।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री राजाराम को व्यक्तिगत विचार व्यक्त करने की अनुमति दिये जाने पर आपत्ति

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, सदन में किसी भी सदस्य को किसी समस्या पर बोलने की इजाजत दी जाती है और उसके लिये प्रस्ताव या नोटिस देने की व्यवस्था की गयी है। आपने श्री राजाराम जी को बोलने की अनुमति दी है तो सदन यह जानना चाहता है कि वह किस विषय पर बोलने जा रहे हैं तथा किस नियम के अन्तर्गत बोलने जा रहे हैं ? मान्यवर, अगर वह विषय नियमों के अनुसार हो तभी इजाजत दे सकते हैं इस तरह से कोई चाहे जैसी बात उठाने के लिये अधिकृत नहीं है और न उसे नियमों के अनुसार इजाजत दे सकते हैं। इसलिये आपसे कृपापूर्वक आग्रह करना चाहते हैं कि यह गलत परम्परा हो जायेगी और किसी भी समय कोई सदस्य जिस वक्त चाहेगा वैसा विषय उठा देगा इससे अराजक स्थिति बनेगी। पहले वह किसी नियम के तहत नोटिस दें, सूचना दें तभी बोलने की इजाजत देनी चाहिए।

श्री घनश्याम शुक्ल-

कोई बात सदन में आयी नहीं वर्माजी पहले ही नियम की बात करने लगे। जैसे अभी बाजपेयीजी एक प्रश्न उठा रहे थे कई माननीय सदस्यों ने व्यवस्था का प्रश्न उठा-उठाकर बोलने नहीं दिया । माननीय पाण्डेयजी के मन में क्या है उनकी बात आयी नहीं वर्माजी का व्यवस्था का प्रश्न आ गया। इसी तरह से प्रमोदजी ने राम मंदिर के प्रकरण पर, जो पूरे प्रदेश में ज्वलंत विषय है, उस पर व्यवस्था का प्रश्न उठाकर बाजपेयीजी को बोलने नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्माजी, माननीय पाण्डेयजी की तरफ से यह अनुरोध किया गया था कि वह कुछ व्यक्तिगत बात कहना चाहते हैं। इस सदन में ऐसा पहले भी हुआ है कि यदि कोई माननीय सदस्य अपनी व्यक्तिगत बात कहना चाहते हैं तो उसे सुन लिया जाता है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आपको पहले बता दें।

श्री अध्यक्ष-

अभी मालूम हो जायेगा।

एक सदस्यीय समता पार्टी के सदस्य श्री राजाराम द्वारा समाजवादी पार्टी में विलय की घोषणा (क्रमागत)

श्री राजाराम-

मान्यवर, आपने हमारे विनम्र अनुरोध को स्वीकार किया इसके लिये हृदय से आभारी हूं । मैं केवल कहना चाहता हूं कि समता पार्टी का मैं एक मात्र विधायक था तथा दल का नेता था। हमारी पार्टी ने सरकार को समर्थन दिया और हृदय से समर्थन देने के नाते मैंने अपने दल को विघटित करके समाजवादी पार्टी में विलय कर लिया है। इसको मैं सदन में बताना चाहता था। इस सदन में हमारे जैसे और भी सदस्य बैठे हुए हैं जो माननीय मुलायम सिंह जी को समर्थन देना चाहते हैं जिससे प्रदेश का विकास हो सके।

श्री ददूदू प्रसाद-

माननीय घनश्याम शुक्ल जी कुछ कह रहे थे, क्या वह भी यही कहना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष-

जो इकलौते होते हैं वह कभी-कभी बड़ी समस्या पैदा करते हैं।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 16 सितम्बर, 2003 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनायें प्राप्त हुईं :--

पहली सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की इलाहाबाद और मेरठ नगर निगमों तथा 74 नगरपालिकाओं में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। दूसरी सूचना डा0 अजय कुमार की प्रदेश के गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। तीसरी सूचना श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी" की वाराणसी कैण्ट के अन्तर्गत पानी में डूब कर मरे बच्चों के परिवार वालों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। चौथी सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की मेरठ महानगर में पेयजल

व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई, पांचवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद शाहजहांपुर में बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। छठी सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई, सातवीं सूचना श्री जगदीश नारायण राय की, जनपद-जौनपुर के बयालसी क्षेत्र में पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य को कराये जाने के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। आठवीं सूचना श्री दद्दू प्रसाद की लखनऊ महानगर में चारबाग से इंजीनियरिंग कालेज तक टैक्सी सेवा बहाल करने के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। नवीं सूचना श्री घूरा राम की जनपद बलिया में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई है।

शेष एक सूचना अस्वीकृत हुई।

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 02 बजकर 12 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 16 सितम्बर, 2003

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 386 विधान सभा (680)-27-7-2004-813 (कम्प्यूटर)।